1.00 P.M.

money to the Government of Maharashtra. This amount aggregates to Rs.1400 crore, which is to be paid to the Government of Maharashtra by the Central Government. In the last ten years, the Central Government has provided only Rs.200 crore.

The Central Government has not only defaulted on making a payment of Rs.1400 crore, but it has also stopped making regular payments to the Government, of Maharashtra. It has raised doubts regarding continuation of this scheme.

It is gathered that the Central Government has expressed its inability to pay Rs.1400 crore to the State Government. This has resulted in non-payment of Scholarship to the OBC students, numbering nearly 7 lakhs. This is not fair when the Government's objective is faster, sustainable and more inclusive growth. I urge upon the Central Government to release the outstanding amount to ensure the proper implementation of the scheme related to Post-Matric Scholarships to OBC students in Maharashtra. It should also be ensured that funds should be provided to the Government of Maharashtra as and when they become due so that the OBC students are not deprived of their scholarships.

Thank you.

श्री तरुण विजय (उत्तराखंड) : सर, मैं पढ़ूंगा और पूरा पढ़ूंगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग इतनी तैयारी करके आते हैं, उन्हें पूरा स्पेशल मेंशन पढ़ने की इजाजत दी जाए, क्योंकि 10 मिनट ही अतिरिक्त लगते हैं। लेकिन उससे एक सार्थकता अनुभव होती है। सर, मैं शाम को पढ़ूंगा।

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप शाम को पढ़ेंगे।

The House is adjourned for lunch. It will meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch
at one minute past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two of the clock,
THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair.

GOVERNMENT BILLS

The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD) : Sir, I beg to move:

That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

[SHRI GHULAM NABI AZAD]

Sir, as Members are aware, the Medical Council of India was created by an Act of Parliament. It is a statutory body and is responsible for ensuring standards of medical education and recognition of medical qualification in India. The Council accords permission for establishing new medical colleges and course of study and prescribes standards of professional conduct and code of ethics for medical practitioners and registration of medical practitioners to practise in the country. The need for reforms in medical education has been debated earlier from time to time. The Government had appreciated the need for a proper regulatory structure in governing medical education and had decided in favour of a National Commission for Human Resource for Health, NCHRH, as an overarching regulatory body in health sector.

This was mentioned by Her Excellency, the President of India, in her Address to the Joint Session of Parliament on 4th June, 2009. Immediately thereafter, the Ministry had started working on NCHRH Bill. It constituted a task force which deliberated over the matter and submitted its report outlining the structure and functions of NCHRH in two months' time. Thereafter, consultation with State Governments and other stakeholders, at the State level and the regional level, was initiated to give it a final shape.

In the meanwhile, for reasons which hon. Members of this particular House are already aware, the Medical Council of India had to be dissolved on 15th May, 2010 and a six-member Board of Governors was constituted to oversee the functions of the Council for one year. At that time, it was anticipated that the NCHRH Bill will be in place within that period.

The finalisation of NCHRH Bill, however, took a very long time. Besides consultations with States and other stakeholders, consultation with the Central Ministries was also required. Further issues relating to NCHRH and the National Council of Higher Education and Research, which was contemplated by the Ministry of Human Resource Development, were required to be resolved.

Since, the NCHRH Bill could not be finalised and introduced by May 2011, the IMC Act had to be amended again through the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2011 and the term of Board of Governors was extended by one more year, that is, up to 14th May, 2012.

The NCHRH Bill has since been introduced in this House on 22nd December, 2011. The hon. Chairman of this House has referred the Bill to the Department-related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. The recommendations of the Committee on the Bill are still awaited.

I would like to inform the hon. Members that over the past two years, the Board of Governors of the MCI have brought in transparency in the functioning of the Council and continued with the reforms already initiated.

As I have mentioned earlier, the NCHRH Bill is presently under examination of the Department-related Parliamentary Standing Committee and there is no possibility of enacting this legislation within the deadline of 14.5.2012.

In view of this, I request the House to consider the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, which has already been passed by the Lok Sabha for extending the tenure of the Board of Governors of the MCI for another one year, beyond 14th May, 2012. This will allow adequate time for the NCHRH Bill to be considered by both the Houses of Parliament and reconstitution of the MCI in terms of the new provisions of the Act. Thank you.

The question was proposed.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, थैंक यू कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है। सरकार ने एम.सी.आई., जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल ऐक्ट के तहत बनी थी, उसे भंग करके, 15 मई, 2010 को एक साल के लिए कुछ मनोनीत किए लोगों से, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक बॉडी बना दी थी। माननीय मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था कि यह बॉडी एक साल के लिए बनी है। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक साल के लिए हैं, लेकिन यह कड़वा सच है कि उस एक साल में एम.सी.आई. के पुनर्गठन के लिए सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। जब एक साल का समय 14 मई, 2011 को खत्म होने को था, तो एक अध्यादेश जारी कर उसकी समय सीमा फिर से बढ़ा दी गई और इसके साथ ही बोर्ड के सारे सदस्यों को नये मनोनीत किए हुए सदस्यों से बदल दिया गया। फिर इंडियन मेडिकल कौंसिल (संशोधन) विधेयक सामने आया और आदरणीय मंत्री जी ने इस संदर्भ में एक ऐसी बॉडी बनाने की बात कही, जिसके अंदर एम.सी.आई., डेंटल और नर्सिंग आदि आएंगे। इससे सरकार की नीयत साफ हो गई कि एक साल बीतने के बाद भी सरकार ने एम.सी.आई को बनाने के लिए और इसके पुनर्गठन के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। अब जबकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कार्यकाल 14 मई, 2012 को फिर खत्म होने को है, तो इस बिल के माध्यम से फिर से इसकी समय सीमा बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से एक तरफ तो सरकार एक-एक साल बढ़ाकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक स्थायी स्टेटस देने का रास्ता बना रही है और दूसरी ओर, बिना किसी ठोस कारण के, सरकार एम.सी.आई. का पुराना स्टेटस बहाल करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है, यह भी नहीं बताया जा रहा है। मैं सदन का ध्यान अध्यादेश 3ए 2 की ओर दिलाना चाहूंगी, जिसमें कहा गया है कि, "The Council shall be reconstituted in accordance with the provisions of section 3 within a period of one year, the date of supersession of the Council under sub-section (1)". इसलिए मैं जो कह रही हूं, वह गलत नहीं है कि माननीय मंत्री जी ने वह सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया था, बल्कि सरकार का भी यह वैधानिक कर्तव्य था कि वह एम.सी.आई. को बहाल करे। अगर सरकार के इरादे नेक होते और उन्होंने एम.सी.आई. के पुनर्गठन का काम सैक्शन 3 के तहत शुरू कर दिया होता तो एक साल में जो कुछ भी नहीं हुआ है, माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है, उसमें कुछ तो करते, लेकिन इसमें दुबारा से, दूसरे साल में फिर वही कहानी दोहराई गई।

अब तीसरे साल फिर वही कहानी दोहरायी जा रही है। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि सरकार एमसीआई के पुनर्गठन के अपने कर्त्तव्य में असफल रही है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या इससे संसद की गरिमा कम नहीं होती? हम सबके लिए यह सोचने का विषय है कि सरकार एमसीआई का पुनर्गठन क्यों नहीं कर रही है। उसने इसके कारण भी साफ नहीं बताए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यकाल को बढ़ाने के संदर्भ में मंत्री जी ने अभी जो कहा कि सरकार का कहना है कि सरकार एक नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमैन रिसोर्सेज़ फॉर हेल्थ बिल के सदन में आने का इंतजार कर रही है, इससे ऐसा लग रहा

[श्रीमती माया सिंह]

है कि सरकार की यह मर्जी है कि जब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमैन रिसोर्सेज़ फॉर हेल्थ बन जाएगा, तब एमसीआई की जरूरत ही नहीं रहेगी। अप एमसीआई का पुनर्गठन इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम यह भी मान ही लें कि देर-सवेर यह बिल आ भी जाएगा, तो भी मैं कहना चाहूँगी कि यह एमसीआई को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमैन रिसोर्सेज़ फॉर हेल्थ एक ऐसी बॉडी के रूप में आ रहा है, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम और उन पाठ्यक्रमों से जुड़े पेशेवर, डॉक्टर आदि को नियंत्रित करेगा, लेकिन यह जो एनसीएचआरएच बिल है, उसमें एमसीआई की कुछ शक्तियाँ हैं और उसके अन्दर कार्य संचालन की कुछ कार्य पद्धति को डाला गया है। साथ ही साथ, एनसीएचआरएच में यह भी एक प्रस्ताव है कि उसके अध्याय 5 के तहत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हो और नेशनल काउंसिल तथा स्टेट काउंसिल, ये दोनों उसमें आएँ, पर एनसीएचआरएच बिल के अनुरूप जो एमसीआई बनेगी, उसको एनसीएचआरएच के तहत ही काम करना होगा। मंत्री जी, इन हालात में एमसीआई को एक लोकतांत्रिक बॉडी बनाने में सरकार की जो अरुचि है, वह मेरी समझ से परे है। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार अपने प्रस्ताव के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रही है? इसके अतिरिक्त, एनसीएचआरएच बिल अभी भी स्थायी समिति में पड़ा है। अभी वहाँ इस पर चर्चा नहीं हुई है। वह कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, उस पर समिति अपनी सुझाव देगी, तो यह अभी किसी को पता ही नहीं है। क्या संसद उस समय तक इंतजार करेगी? मैं समझती हूँ कि सरकार का इरादा इसके बहाने एमसीआई पर काबू पाना है। उसको एक्ट के हिसाब से एक लोकतांत्रिक संस्था न बना कर अपनी मर्जी से मनोनीत 7-8 लोगों को सारे अधिकार देकर अपना एजेंडा थोपने का इरादा तो नहीं है आपका? आपने देखा ही होगा कि 1956 से लेकर 2000 के बीच 6 अमेंडमेंट्स आए। हम यह नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूँ कि आपने एमसीआई के पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया। आपने जो कदम उठाया, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति के कारण एक पूरी चुनी हुई संस्था को आप कम-से-कम भंग तो मत करिए। उसमें जो चुने हुए मेम्बर्स आते हैं, वे देश भर के जितने भी मेडिकल कॉलेजिज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस-चांसलर्स हैं, सारे मेडिकल कॉलेजिज़ के डीन्स उसमें सम्मिलित होते हैं, यानी चुने हुए मेम्बर्स नोमिनेटेड मेम्बर्स से ज्यादा होते हैं। यह एक लोकातांत्रिक पद्धति है। अब ये सारी की सारी स्वास्थ्य क्षेत्र की जो बारीकियाँ हैं, उन बारीकियों को ध्यान में रख कर इस क्षेत्र की गुणवत्ता से समझौता न किया जाए, इस बात को ध्यान में रख कर यह संस्था काम कर रही थी। पर आपने तो अब ऐसा प्रावधान कर दिया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खत्म हो जाए। आपने अपने कुछ मनपसंद लोगों के हाथ में अधिकार देकर एक तरह से अपने हिसाब से काम करना शुरू किया है। हम उसको ठीक नहीं समझते हैं।

लोक सभा में हमारी एक माननीय सदस्या ने जो बात कही, मैं उसका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी बात पर वहाँ जो शोर-शराबा हुआ, उस बात में सच्चाई तो है। इसे मंत्री जी भी मानते होंगे। इसलिए मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि आपके इस निर्णय से परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं तथा आगे और बिगड़ेंगी। मुझे इसमें सुधार की गुंजाइश कहीं नजर नहीं आती है, बल्कि इसमें लूट की ज्यादा गुंजाइश है।

इसलिए मंत्री जी, अब मैं दोनों वक्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कार्यकाल के कार्यों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिनको केन्द्रीय सरकार ने मेडिकल कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सिस की मान्यता देने का अधिकार दिया था और यह उम्मीद की जा रही थी कि उनका काम पारदर्शी होगा, नियमानुसार होगा, ताकि उन पर किसी को किसी तरीके की उंगली उठाने का मौका न मिले। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के गलत कामों का इतना बड़ा पुलिन्दा है, जो सर्वविदित है। अगर मैं यहां एक-एक करके वे सारी बातें बताने लगूं, तो उसमें घंटों लग जाएंगे, फिर भी कुछ बातें हैं, जिन बातों की ओर मैं सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

पहली बात तो यह है कि पश्चिमी बंगाल में 2011-12 में इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने की अनुमति दी। जब वहां एमसीआई और डीसीआई की एक संयुक्त जांच टीम गई, जो उन्होंने पाया कि वहां बहुत सारी सुविधाएं डेंटल कॉलेज के साथ साझा हो रही थीं, जो एमसीआई और डीसीआई, दोनों के प्रावधानों के उल्लंघन था, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। इसी दौरान वहां की राज्य सरकार ने उनके Essentiality Certificate को रद्द कर दिया, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कार्यवाही की, जबकि यह कार्यवाही उन्हें पहले करनी चाहिए थी। पहले उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की? जब स्टेट गवर्नमेंट ने कदम उठाया, उसको देखने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने अपना कदम उठाया।

इसी तरीके से दूसरी बात है, जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने बहुत बार स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि उत्तर प्रदेश के चार और केरल के दो मेडिकल कॉलेजिज़ में न तो पूरे शिक्षक थे, न उनका भवन मानक के अनुसार था और न ही वहां अन्य सुविधाएं थी, फिर भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उस कॉलेजिज़ को अनुमति दे दी। उनको अनुमति क्यों दी गई? यहां तक कि स्टिंग ऑपरेशन के तीन माह तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद जब show cause notice भेजा गया, तब फिर से अपनी जिम्मेदारी से हटते हुए उन्होंने एक सब-कमेटी बना दी, जिसे इसकी तहकीकात के लिए चार महीने का समय दिया गया था। मंत्री जी, उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह सदन जानना चाहता है कि इन सब घटनाओं की जानकारी आपको होगी, यदि है, ते आप अपना उत्तर सदन को बताएं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी, सरकार ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियुक्ति इस प्रामाणिक विश्वास के साथ की थी कि वे बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने न सिर्फ दोषी लोगों की रक्षा की, बल्कि लीक से हट कर एक निजी शिक्षण संस्था को बहुत आजादी भी दी। पहली बार जब 2010 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना, तो जिन कॉलेजों की मान्यता के लिए केन्द्रीय सरकार आवेदन लौटा चुकी थी, उन कॉलेजों को भी आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मान्यता दे दी। इसमें सिक्किम के अन्दर एमबीबीएस की एक सीट बढ़ाने की मान्यता मिली, जबकि उनके पास जरूरत के मुताबिक शिक्षण स्टाफ भी नहीं था।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा कदम किस मजबूरी में उठाया गया? उनके पास पढ़ाने के लिए पूरा स्टाफ भी नहीं था, लेकिन ऊपर से उस कॉलेज को पीजी कोर्सिज़ के लिए अनुमति मिल गई, साथ ही जिस शिक्षण संस्थान की सीटें एमसीआई ने कम कर दी थीं, उनको दोबारा बहाल कर दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का एक सदस्य इस संस्था का इम्प्लॉई था।

चौथी बात, इन दोनों बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भाई-भतीजावाद को इस चरम सीमा तक अपनाया और अपने लोगों की नियुक्तियां ऐसे पदों पर कीं, जो पद थे ही नहीं। मंत्री जी, इन नियुक्तियों के लिए न तो कोई विज्ञापन निकाला गया, न कोई साक्षात्कार हुआ, न ही चयन के लिए कोई समिति बनी। इसके साथ-साथ जो केन्द्रीय सरकार के नियम के हिसाब से योग्य उम्मीदवार नहीं थे, इन्होंने उनका भी चयन कर लिया। आज तक इन अनियमितताओं के खिलाफ, जिसमें सीबीआई की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में जांच भी मौजूद है, लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जा कर जब विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया, तब उन नियुक्तियों पर कार्यवाही की गई और अब चार लोगों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चल रही है।

सर, पाँचवीं बात मैं यह कहना चाहूँगी कि एक मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरण की जो बात है, उस स्थानांतरण में भी इतनी अनियमितताएँ हैं, मंत्री जी, यह आपकी जानकारी में होंगी, लेकिन वहाँ पर भी वित्तीय मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा गया। मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएँ हैं और इस तरीके की बहुत सारी अनियमितताएँ बरती गई हैं। जैसे, पी.जी. के लिए आवेदन पत्रों को आखिरी तारीख तक देखा ही नहीं गया और इन संस्थाओं को अवसर दिया गया कि ये कोर्ट में जाएँ और कोर्ट से परमीशन लेकर आएँ, तब सीट उन्हीं को दी जाएगी। इस तरह कई मामलों में इन संस्थाओं द्वारा दिए गए निर्णय बार्ड ऑफ गनर्वर्स के निर्णय से उल्टे होते हैं। अब एम.बी.बी.एस. कर रहे छात्रों का आकलन, जो कि

[श्रीमती माया सिंह]

पी.जी. कोर्सेज़ के लिए जरूरी होता है, इसकी नियमावली में भी है, लेकिन वह किया ही नहीं गया। यह क्यों नहीं किया गया? यह क्या दर्शाता है? अगर ये सब बातें नहीं हो रही हैं, तो इससे हम क्या समझें कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत मेडिकल संस्थाएँ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की नियमावली में अपने फायदे के लिए कितनी छूट लेती हैं और बोर्ड ऑफ गनर्वर्स चुपचाप छूट देता भी रहता है? नियम तो यह है कि अनियमतताओं वाले जो कॉलेजेज़ हैं, उनको दो वर्ष के लिए रद्द कर देना चाहिए, लेकिन दु:ख की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि इसके विपरीत उनको पी.जी. कोर्स के लिए अनुमति दे दी जाती है, इन सबके बावजूद। ऐसा क्यों? सी.बी.आई. ने यहाँ तक प्रूव किया कि कई ऐसे कॉलेजेज़ हैं, जिनमें जाँच के लिए झूठे प्रमाण पत्र दिखाए गए। अगर ऐसे इस तरीके से चलेगा, फिर कैसे मंत्री जी, यह सब क्या हो रहा है? यह आपकी जानकारी में हो रहा है। इसके बाद भी हम साल-दर-साल बोर्ड ऑफ गनर्वर्स का कार्यकाल बढ़ाते चले जा रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। इस दौरान यह भी देखा गया कि निकट के लोगों के कॉलेजेज़ के लिए, जो हमारे परिचित हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल के हैं या जो अन्य दूसरे तरीके से हमारी पहचान वाले लोग हैं, उनके लिए सारे नियम और कायदे-कानून ताक पर रख कर, एक रूटीन बन गया है, उनके काम कर दिए जाते हैं और उनके काम हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई eigibility criteria भी इन सब के लिए एक नहीं है। इसमें अनियमितताओं की इतनी लम्बी सूची है, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंत्री जी, देश में इतने ज्यादा मेडिकल कॉलेजेज़ के रेगुलेशन के लिए सारे मामले पेंडिंग पड़े हैं और सरकार द्वारा अपने कुछ पसंदीदा लोगों को या अब क्या कहूँ कि अपने कुछ खास लोगों को BOG में ले लिया जाता है। BOG की जो कार्यशैली है, सरकारी की नीयत इस विषय में नियम के बिल्कुल विपरीत है। देश की जो सर्वोच्च संस्था है, उस सर्वोच्च संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी यह पालन नहीं करती। भारत सरकार ने इनको जिस गौरवशाली पद पर बिठाया है, उसके साथ ये बिल्कुल न्याय नहीं कर रहे हैं। इसलिए, मैं कहना चाहूँगी कि सरकार का यह निर्णय, जो काउंसिल भंग करके बोर्ड ऑफ गनर्वर्स की नियुक्ति करने का है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इससे थोड़े-से लोगों के हाथों में सारी-की-सारी शक्तियाँ सौंप दी गई हैं, सारे अधिकार मात्र सात-आठ लोगों को दे दिए गए हैं और इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके साथ-ही-साथ वहाँ पर राज्यों के जितने भी मामले होते हैं, उनको लम्बे-लम्बे समय तक लटकाया जाता है, उनके निर्णय नहीं होते हैं। इससे राज्यों के कई वैधानिक हक मारे जाते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो संस्था है, किसी भी स्तर से मनोनीत किए हुए सात-आठ लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये लोकतांत्रिक मापदंड, नीति और मॉडल पर खरे नहीं उतरते हैं। इसलिए, जब 14 मई, 2012 को इस मनोनीत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है, तो मैं सरकार से यह गुहार लगाऊँगी।

मंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने 2010 में इसी सदन में कहा था कि हम एक बिल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यह मुकम्मिल बिल नहीं है। आपने यह भी कहा था कि इस पर संसद में खुल कर चर्चा होगी, सांसद इसमें अपने सुझाव रखेंगे और जो अमेंडमेंट्स होंगे, उनको स्वीकार किया जाएगा।

उसको छोड़ कर आप तो साल दर साल Board of Governors के कार्यकाल को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। इन्होंने जिस MCI को भंग किया, उस MCI में जो प्रावधान हैं, उसमें यह कहा गया है कि there is a provision for a Commission of Inquiry. आप उस वक्त उनके खिलाफ कमीशन ऑफ इन्क्वारी रख सकते थे, पर, आपने नहीं रखी, यानी कानून को कानून की रीति से काम करने ही नहीं दिया, बल्कि एक नई व्यवस्था कायम कर दी। अब इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह गुहार लगाती हूँ कि वे MCI के बारे में पुनर्विचार करें, वहां उनके चुनाव करवाएं और MCI को पुन: अस्तित्व में लेकर आएं। भले ही आप इसमें संशोधन लेकर आएं कि जिनके दो टर्म पूरे हो गए हैं, वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि यह एक लोकतांत्रिक संस्था है, इसको भंग मत कीजिए, इसको बहाल कीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।

SHRI JESUDASU SEELAM (Andhra Pradesh) : Sir, I would like to support the Bill.

Sir, I listened to our senior colleague, Maya Singhji. She has brought out the deficiencies in the working of the Board of Governors. It is true that it is not the intention of the Government, or this House, to continue with the system of Board of Governors forever. I would like to congratulate the hon. Minister for the efforts he has been making in this regard.

Sir, the House may recall the discussion on the working of the Ministry of Health and how inadequate access to health facilities was affecting the quality of life of the people. The UPA Government is committed to bringing about reforms in the social sector in consonance with the reforms in the economic sector. There has been a long-pending demand for social sector reforms, especially in the health and education sectors. This laudable objective is sought to be achieved by introducing the National Commission for Human Resources for Health. The hon. Minister has outlined the basic features of the proposed reforms.

Sir, the hon. Member, while initiating the discussion, said that there were a lot of incongruencies and deficiencies in the functioning of the Board of Governors and, therefore, a lot of remedial measures needed to be taken. She had expressed certain apprehensions. Many affected people have gone to the courts of law. But, I am sure, nothing prevented them from approaching the hon. Minister. I wish to set the record straight here. Maya Singhji quoted from yesterday's discussion in Lok Sabha, saying that an hon. Member of that House had alleged that there was some money given, and she said that it was so, indeed. I am sorry to say that the accepted practice in Parliament is that no Member makes such allegations without authentication of the facts. Without authentication of facts, one cannot say that the Minister has done this or that. I would like to urge upon her, as also other Members, to authenticate the facts before making any allegation. This House should not be used for such purposes. There should be some authentication. I say this with a very heavy heart, Sir. Such baseless allegations should not be allowed to be made about the functioning of the hon. Minister. This is an autonomous Council. Yes, there may be some deficiencies, but the deficiencies should have been brought to the notice of the Minister, or a legal course could have been sought to be taken, instead of making wild and baseless allegations. If the hon. Member still wants to make such allegations, I think the House is aware that that they need to be authenticated and the procedures followed. ...(*Interruptions*)... I am not yielding. ...(*Interruptions*)... I am not yielding, Sir.

SHRI BALBIR PUNJ (Odisha) : You are attributing motives. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : (Andhra Pradesh) : You attributed motives. ...(*Interruptions*)...

SHRI JESUDASU SEELAM : I repeat, Sir, if anybody has any grievance, the aggrieved party could have gone to the hon. Minister. He is accessible. He has been spending a lot of time in trying to reform. He is taking a lot of initiatives. We agree, they may be true or may not be true. But, it is unfair to say these things without verification. It is said, 'with the knowledge of the Minister'; this is where I wanted to clarify.

Secondly, the hon. Minister has elaborated that it is not the intention of the Government to continue with this temporary arrangement for a long time. It was originally intended for one year. Section 3A clearly mentions that it is a temporary arrangement. I would like to draw the attention of the House and hon. Members to the fact that we deliberated on whether to continue for one more year or not at the time when we extended it for a second time. There are continuous and sincere efforts; as mentioned by the hon. Minister, within 16 days from the moment Rashtrapatiji announced on 4th June, the Task Force was immediately constituted. The Task Force took no time in acting. By July 31, the Task Force gave its report. On August 7, the State Governments and other stakeholders were consulted. It is never a practice to avoid stakeholders' consultation for such a major reform because it encompasses the overall review of the system, from the point of view of the medical, the dental, the nursing and the pharmacy. All those people who were working in the sectors are given prominence in this new Commission for Human Resources for Health. Immediately, when the State Governments and other stakeholders were requested to give their comments, the Task Force recommendations were also put on the website. Then, by 29th March, 14 States and UTs, including Gujarat, West Bengal, Uttar Pradesh, Rajasthan, Assam, Kerala, Tamil Nadu, Delhi, Sikkim and others were requested to give there comments.

The hon. Minister mentioned about the regional workshops. During June 17-19, the workshops were conducted in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Kolkata, Chennai and other major cities with all experts, the Vice-Chancellors, medical professionals and representatives of regional IMAs. The views of all were taken. It was also discussed in the conference on Central Council for Health and Family Welfare. Only after that the Ministry drafted the Bill for creation of the National Commission for Human Resources for Health. The Bill then went to the Cabinet. What is the Bill aiming at? It is a major breakthrough. It has three constituent functions. One is, the Bill provides for a national board for health education. You are aware that health education requires a specific standard curriculum as also award of uniform degrees. All the subjects have been dealt in detail while deliberating on various occasions by the hon. Health Minister. I do not want to elaborate more on it because it is a simple amendment which he has brought; he is seeking the cooperation of all the Members.

Secondly, the Bill provides for setting up of an assessment and evaluation committee. Sir, the National Assessment and Evaluation Committee shall assess the institutions. We have seen a huge growth of medical institutions in the country. We need to assess their status and also fix up the standards. The Assessment Committee will also standardize the courses.

Thirdly, the Bill provides for a group of councils. Sir, much has been talked about it. Mayaji was very keen on retaining the autonomy of the Council. Sir, there is a Medical Council, there is a Dental Council, there is a Nursing Council, there is a Pharmacy Council; definitely, there would be a Council for Paramedical Courses, which is important. We may, in future, establish a Council which looks after the affairs of the Paramedical Courses.

Sir, the House may kindly recall that the hon. Minister has explained, in detail, the intention of these Councils. They will register all the medical practitioners and also regulate the practice. Also, Sir, it will maintain the medical ethics. Every aspect was very, very clearly discussed. I don't want to go into all those details. So, these Councils will continue to be elected bodies as provided under various Acts. There should be no apprehension on this count. I would like to clear the apprehensions of my senior colleague, Mayaji, that she should not have these apprehensions because they still have the elected bodies as provided in respective Acts.

Sir, once again, I would like to highlight its importance. I have explained why this amendment has been brought forward. If the Standing Committee gives its recommendations, I am sure, the Government and the hon. Minister will be very, very willing to come back to the House at the next opportune time with the Bill. The only thing is, we would request the Members of the Standing Committee to expedite the passage of the Bill so that a broader reform in the human resource sector for Health is in pace with all these remedies. We know that we do not have a happy experience about this. As Government and as people's representatives, we are not happy with the prevailing state of affairs in this sector. Definitely, we need to address it. The time has come to address it. Once the Standing Committee gives its recommendations, I think, the Government is willing to come quickly before this august House to effect the much needed and much desired reforms. So, with these few words, Sir, I urge upon the hon. Members of the House to accept this small amendment for making it from two to three years. While making it from one to two, the House has deliberated this in detail and given its approval. I am sure, the hon. Minister may not take one year. But, for the sake of meeting the exigencies of procedural angles, various consultations, and, of course, the Standing Committee, in its wisdom, is deliberating on it; the only expectation is that the Standing Committee would be kind enough to give its recommendations at the earliest. I hope the hon. Minister would come back to the House at the immediate opportune time for doing the needful. We may not wait for abolishing the Board of

[SHRI JESUDASU SEELAM]

Governors for one more year. I agree with Mayaji that we need to do away with this temporary and *ad hoc* arrangement. I am sure, we will get very quickly that opportune time. I agree with the proposal of the hon. Minister. I beseech the hon. Members to approve and pass this Amendment; otherwise, what will happen is, three years will cease to exist; there will be no Council. It takes a lot of time to re-constitute the Medical Council of India because you have to consult the State Governments, the Union Territories and various registries. Then, this whole process will take a lot of time. This is the time for admission, Sir. Every State Government is forwarding representations for recognition of courses, starting of new courses, and there will be chaos at the time of admissions. I don't think our friends would like that students of our country should suffer from the vacuum. To meet that vacuum, I urge the hon. Members of the House to support the Bill. With these observations, I support the Bill, Sir. Thank you very much.

श्री ब्रजेश पाठक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज आपने मेडिकल काउंसिल (संशोधन) विधेयक, 2012 पर अपनी बात रखने के लिए समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। सर, लोकतांत्रिक प्रणाली में लोकतांत्रिक संस्थाएं ही जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चलन में आ गया कि जो भी चुनी हुई संस्थाएं हैं, चाहे वकीलों के लिए चुनी हुई संस्था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे आर्किटेक्ट के लिए चुनी हुई संस्थाएं हों या चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, उन पर किसी न किसी प्रकार चुनी हुई ताकतों को समाप्त कर अपने लोगों को बैठाकर काम चलाने का एक रिवाज चल पड़ा है।

पिछले दिनों मई, 2010 में जो घटना घटी, वह वास्तव में हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक थी। मैं इससे कतई इत्तफाक नहीं रखता कि जो संस्था देश के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार है, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जिम्मेदार है, इस देश के डॉक्टर्स पैदा करती है, वह संस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएगी, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। जिस संस्था को भंग करके आपने गवर्निंग बॉडी के नाम पर सरकारी मेम्बर्स को वहां बिठाकर MCI जैसी महत्वपूर्ण संस्था को चलाने का काम किया है, आप यह नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार के छींटे उन पर नहीं पड़ेंगे। अगर भ्रष्टाचार के छींटे तत्कालीन MCI पर पड़े थे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और यह मेरे संज्ञान में भी लाया गया है कि चाहे MBBS में सीटें बढ़ाने का मसला हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के मामले हों, जो लोग मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, अगर उनकी बातों को फोन पर टेप कर लिया जाए, तो जो बातें होती हैं, निश्चत रूप से वे सारे लोग और MCI के लोग, चाहे वे जहां भी हों, वे सलाखों के पीछे नज़र आएंगे।

माननीय मंत्री जी जब सदन में अपनी बात रखने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बोर्ड को भंग करके हम नया बिल लाएंगे, नया कानून बनाने का काम करेंगे और तब यह बिल एक साल के लिए लाया गया था, लेकिन दोबारा एक साल बढ़ाया गया। आज इस बिल को देखने से लगता है कि मात्र एक शब्द का हेरफेर है, 2 साल को 3 साल किया गया है, लेकिन यह 2 साल से 3 साल करने का मामला नहीं है। मुझे इसकी मंशा कुछ और नज़र आती है। मैं सीधे-सीधे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अर्ज़ करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में हमें लोगों पर भरोसा करते हुए, इन चुनी हुई संस्थाओं में लोगों पर ही बात छोड़ते हुए MCI का चुनाव कराकर वहां पर ऐसे लोगों को बिठाकर उनके दिशा निर्देशन में काम करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार की बू न आ पाए।

उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक इस बिल का समय बढ़ाने की बात है, कहा जा रहा है कि यह स्टैंडिंग कमेटी के पास विचाराधीन है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी तो एक बहाना है। नर्सिंग काउंसिल बराबर काम कर रही है, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, वह ठीक काम कर रही है। इसी तरह पैरा मेडिकल काउंसिल भी ठीक काम कर रही है। जब नर्सिंग काउंसिल और पैरा मेडिकल काउंसिल ठीक काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसी संस्थाओं में चुनाव कराने पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके MCI का चुनाव होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी अवश्य इस ओर ध्यान देंगे। ये जो मान्यता देने वाली संस्थाएं आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई हैं, इनके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। धन्यवाद।

SHRI P. RAJEEVE (Kerala) : Thank you, Sir. I rise to oppose the Bill which is an undemocratic, arbitrary move by the Government. This Bill should be defeated to protect the democratic structure of the country. Sir, this time actually the Minister is in trouble. The Minister is always discussing, 'I am participating in the discussion on MCI for the last three years.' The Minister is following the same pattern discussing with colleagues or some officials. While going through the record, you can find it out. This time the Minister is in trouble, Sir. He is always trying to bypass the Parliament through ordinance. But because of the elections in five State Assemblies, the Parliament Session has been delayed. So, the Minister's calculation has been defeated now. The Government could not notify an ordinance in the month of May. Normally, the House is not sitting in the middle of the month of May. If we examine the earlier attempts of the Minister, we could find these situations very clearly, Sir.

SHRI GHULAM NABI AZAD : It was only once.

SHRI P. RAJEEVE : I will come to that. I got the privilege to call the attention of the Minister to the malpractices in MCI. I got that privilege on April 4, 2010. At that time I demanded to take action according to the provisions of the Medical Council Act. That was the sense of the House and the Minister had given an assurance to the House. It was on April 4. But without acting as per the rule, just after ten days of the adjournment of the Session, that is, on May 5, 2010, the Government notified an ordinance for dissolving the Council.

Sir, I don't know if the hon. Minister is interested in the debate.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : What is the problem? You carry on, he is listening.

SHRI P. RAJEEVE : On May 15, the Government notified an Ordinance to dissolve the Council. The Minister took the same recourse to extend the Council for another two years. On March 17, 2011, the Cabinet had given clearance to the Amendment Bill for the extension of the Council. The Budget session was up to 21st April. The Minister had got enough time to come up with an Amendment Bill in this House. But, as usual, the hon. Minister, again, came up with an Ordinance on 10th

[SHRI P. RAJEEVE]

May, 2011, and, thus, bypassed the Parliament. It is for the second time that he had bypassed the Parliament. First he brought an Ordinance. Then, the Cabinet cleared the Amendment Bill on March 17. There was enough time. The Budget Session was going on and, still, one month was left. But the Minister preferred an Ordinance and it came on 10th May, 2011. May is the month of the Health Minister because the hon. Minister is sure that the Parliament would not be in session in the month of May. But, this time, it has defeated Minister's calculations. And, because of the Parliament in Session, this May, the Minister is compelled to face this august House.

Sir, while introducing the Bill, in place of Ordinance 2010, the Minister had said that in view of the judgement of Apex Court a temporary arrangement is required to address the issue of the students. And, he specifically assured this House that this mechanism is a temporary arrangement. He said, "l would like to clarify that the amendments in this Bill are only an interim measure and purely temporary in nature. The circumstances under which the Ordinance had to be invoked, I have already explained. This arrangement has been put in place only for one year from 15.5.2010 to 15.5.2011. That means, hardly 8-9 months are left." This is the statement made by the Minister, while replying in this House. It was only for eight or nine months. And, now, the Minister has come with an extension of three years. The same mistake was made by the hon. Minister while introducing the Bill in 2010. In his reply, the Minister had assured that the Ministry will take enough steps to discuss with the States for finalizing the Council. Now, they are trying and they want more time to have these consultations. The Minister is talking about a new mechanism in the health sector. But there was IMC (Amendment) Bill, 2005 also. The Standing Committee has submitted its report. As per that Bill, the Government should reconstitute the Council, within six months of the dissolution. But, now, the Government is seeking three years' extension. This is totally an arbitrary decision. I called the attention of the Minister to this in 2010. But the Minister had taken that opportunity to convert the Medical Council into Minister's Council. The corruption is still continuing. Only the beneficiaries have changed. The scams are continuing, but the beneficiaries have shifted from the Medical Council to the Ministry itself. Such is the situation.

Sir, the Minister had actually tried to mislead the House on two occasions. The Minister had said that there was no provision to dismiss the President of the Medical Council of India.

I quote: "We are conscious of the fact that the Medical Council of India Act does not contain any provision for disqualifying a person from holding office in the Medical Council of India. But, there is no bar ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Your time is over.

SHRI P. RAJEEVE : ... in the Act against removal of an elected office-bearer before the expiry of his term." There is no bar; this is the Court's verdict. But the Minister has interpreted it in some other way for constituting his own Council. Sir, according to Section 3 of the MCA, the Central Government is the appointing authority of all the members. It is a universal truth that the appointee can always be removed by the appointing authority. By imposing that Section, the Government dissolved the Council to constitute a mechansim.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, please conclude.

SHRI P. RAJEEVE : Sir, it is a very important point.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Okay; you can take one more minute.

SHRI P. RAJEEVE : Sir, health is a State subject and medical education is in the 'Concurrent List.' Before dissolving the MCI, the Governors should have discussed it with the State Government. That did not happen. Sir, we had moved an amendment in 2010. Then, the Minister had given a categorical assurance to this House that the representatives of the State Government would be included in the Bill, which would be brought forward in the Winter Session of Parliament. But the Minister did not fulfil that assurance and has come up with its further extension to three years. ...(*Time-bell rings*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

SHRI P. RAJEEVE : Actually, Sir, we have taken a strong stand against corruption. In Kerala, a Malayalam Television channel 'Asianet' had conducted a sting operation. All TV channels had telecast that thing. No action has been taken, Sir. All of the members except one, an honest man from Kerala, are from the corporate sector. This Medical Council has no representative of the State. All the representatives are corporates.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

SHRI P. RAJEEVE : Sir, an issue was raised with regard to the Manipal Institution. In the first Council, the Minister has nominated the representative from that Institution. All the cases have been written off ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Please conclude.

SHRI P. RAJEEVE : Sir, my strong point is, we have to protect the democratic sector of the Council and we have to also protect the autonomy of the Council. Now, all the issues are handled by the Ministry, some officers and the Minister. This system should not be allowed to continue. So, I strongly oppose the Bill. This Bill should be defeated in this august House.

श्री शिवानन्द तिवारी (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, असल में इस देश की हालत इतनी चिंताजनक है कि जहां हाथ रखिए, वहीं सड़ा हुआ मिलता है। चाहे डिफेंस का मामला हो, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने उसके बारे में सुना, ट्रक और क्या-क्या, चाहे हवाई जहाज का मामला हो, उसकी भी वही हालत है या चाहे गुलाम नबी आज़ाद साहब के विभाग का मामला हो, वही हालत हर जगह दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता चला गया - बिल्कुल वही हालत लगती है। मेडिकल काउंसिल का जो इनका बिल टर्म एक्सटेंड करने के लिए आया है, हम यहां आ रहे थे तो उसके बारे में जब हमने देखना शुरू किया, तब हमें याद आया कि मेडिकल काउंसिल, जिसको इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए हटाया, उस मेडिकल काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उनके यहां डेढ़ टन सोना पकड़ा गया। महोदय, इस देश की कितनी बड़ी आबादी ऐसी है कि जहां के मां-बाप अपनी बच्चियों की शादी के लिए दस ग्राम सोना खरीदने की हैसियत भी नहीं रखते हैं, वहां एक घर में डेढ़ टन सोना मिलता है और करीब 17-18 सौ करोड़ रुपया मिलता है। यह कितना बड़ा व्यापार है? महोदय, मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन के घर में जो कुछ मिला, वह इस बात को साबित करता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो मेडिकल कॉलेजेज़ हैं, उनका कितना बड़ा वेस्टेड इंटरस्ट है, कितना बड़ा व्यापार है। आप इस बात को समझिए कि जो केतन देसाई पकड़े गए, उनका टेन्योर कितने दिन रहा होगा, उतने ही दिन में 18 सौ करोड़ नकद और डेढ़ टन सोना उनके घर में पकड़ा गया। मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां पर दो मेडिकल कॉलेज हैं। हम जानते हैं कि एक-एक बच्चे के ऐडमिशन में 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए लगते हैं। इसलिए जो डेढ़ टन सोना इकट्ठा हुआ, वह इसीलिए इकट्ठा हुआ। असल में, इस देश का जो रोग है, उस रोग का इलाज हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लक्षण का इलाज होता है, symptoms का इलाज होता है, जो रोग है, वह diagnose होना चाहिए, उसे diagnose करने वाला कोई नेता हमें दिखाई नहीं देता है।

आप बिल ले आए हैं, आपके सामने रास्ता नहीं है, आपने आर्डिनेंस के जरिए मेडिकल काउंसिल बनाया है। उसका समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपने सालभर का समय मांगा है। हालांकि बेहतर होता, यदि आप साल के समय को छह महीने के अंदर ही करने की कोशिश करते, जो चुनाव वगैरह की प्रक्रिया है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, यह चिंता का विषय है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। जब आप जम्मू-कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, तब मैं आपके काम को देखता था। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं। लेकिन आज मेडिकल की क्या हालत बन गई है, इस पर आप विचार कीजिए। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं पटना गया था, बिहार का 100वीं वर्षगांठ मनाने का मौका था। मेरी एक ही बहन है। वहां पर मुझे खबर मिली कि मेरे बहनोई का angiography हुआ है और डाक्टर्स कह रहे हैं कि open-heart surgery करनी पड़ेगी। वे यह कह रहे हैं कि अगर आप अभी नहीं करवायेंगे, तो इनका मामला साफ है। ये तो खुशकिस्मत हैं कि अस्पताल में आ गए। अब वहां हमें खबर मिली। हम वहां से अगले दिन आए। संयोग से हमारे बहनोई का भतीजा छत्तीसगढ़ केडर में IAS था, उसने रिजाइन कर दिया है, उसकी पत्नी डॉक्टर है। वे angiography की रिपोर्ट लेकर डॉ. सेठ के यहां पर गए। उनहोंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ऑपरेशन की कोई जरूरत है। आप इसकी angioplasty करा लीजिए, हार्ट खोलने की जरूरत नहीं है। वे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यह हालत है। इस मुल्क में ऐसे-ऐसे अस्पताल हैं, जिनको पैसा नहीं मिलता है, तो वे मरे हुए आदमी की लाश को भी ले जाने की इजाजत नहीं देते हैं। यह हम लोगों के देश में स्वास्थ्य की हालत है। मैं गुजारिश करूंगा और मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे देश में 80 परसेंट लोग ऐसे हैं, जिनके शरीर को जितना पोषण चाहिए, वह नहीं मिलता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में 42 परसेंट बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, वे underweight पैदा होते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कम है, उनका immunity system weak होता है और अक्सर वे बीमार पड़ते हैं। हमारे देश में पता नहीं कितने परिवार बीमारी के चलते, उसके इलाज के चलते बर्बाद हो रहे हैं। आजादी को 62 वर्ष हो चुके हैं और हम लोग अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा भी नहीं कर पा

3.00 P.M.

रहे हैं। आप ऊंचे-ऊंचे दावे करते हैं कि देश का विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। यह अद्भुत हालत है। इसलिए मैं आज़ाद साहब, से गुजारिश करूंगा कि जब तक आपको मौका मिला है, इस देश के स्वास्थ्य की जो दुर्गति है, उसको किसी तरह से थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए। हालांकि अकेले यह आपके बस की बात नहीं है, आपके पास वह ताकत नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा और उसको आप अकेले कर नहीं सकते हैं। फिर भी, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि जितनी आपमें क्षमता है, जितनी आपके अंदर ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल इसको ठीक-ठाक करने में जरूर कीजिए। **...(समय की घंटी)...** अगली दफा कम से कम चुनाव ऐसा हो कि किसी के घर से डेढ़ टन सोना नहीं निकले, एकाध किलो निकले तो चलेगा। **...(समय की घंटी)...** लेकिन डेढ़ टन सोने वाले को आप अध्यक्ष मत बनाइए, यही गुजारिश मैं करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal) : Sir, I rise here to discuss the Bill. Without discussion one cannot come to any conclusion.

Sir, this is a very short Bill. In fact, there is only one change: from ‘two years’ it has been changed to ‘three years’. If we take out the word ‘years’, it is only one word, ‘two to three’! For that, we are spending quite a lot of time. It only shows the power of the number! The words ‘two to three’ are so powerful that we shall continue to discuss it for a long time without knowing what exactly the result would be. Now, Sir, the problem here is that the Medical Council has been superseded. We had fully supported the Minister and the Government at that time for a very simple reason. The Medical Council of India had become a private institution minting money for a few. It was a huge money-making institution, and very rightly, the Minister intervened and superseded it. But the point is, the shortest possible Bill is hiding much more than it is revealing.

If we go to the Objects and Reasons of the Bill, it says, “Meanwhile, the Central Government initiated a proposal to set up a National Commission for Human Resources for Health as an overarching regulatory body which would subsume certain Councils like the Medical Council of India and the Dental Council of India in it.” Here comes the doubt. The Medical Council of India is a highly specialized body. It deals with medical education and medical personnel. Dental Council of India is also a specialized body. If we have an overarching body, we will go towards heavy centralization which is against the ethos of even the Congress Party. Sir, from the time of Mahatma Gandhi’s *Gram Swaraj* to Rajiv Gandhi’s 64th Amendment where he said that power should go back where it belongs—however, the 64th Amendment failed—to Narsimha Rao’s 73rd Amendment which was for decentralization of power, we went from centralization to decentralization. But here we are going from decentralization to over-centralization. This is totally against the ethos of our parliamentary democracy. Anyway, Sir, I will keep my powder dry till the other bill come. For the time being, I feel slightly uncomfortable for this one word change from ‘two’ years to ‘three’ years and thereby over-centralising the power in the hands of an non-elected body.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। आप नियमावली के नियम-7 को देख लें: "The election of a Deputy Chairman shall be held on such date as the Chairman may fix and the Secretary-General shall send to every Member notice of this day."

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Okay. What is the problem?

श्री नरेश अग्रवाल : इसका मतलब यह नहीं है कि इनडेफिनेट हो जाए। मतलब यह है कि यह शब्द दिया है कि 'Chairman may fix'. Chairman may fix का यह मतलब नहीं है कि वह इनडेफिनेट हो जाए। श्रीमन्, हम आपको डिप्टी चेयरमैन के पद पर देखना चाहते हैं, लेकिन यह जो शब्दावली है, इसका मतलब दूसरा लगाया गया है और इसलिए यह सीट खाली है तथा सदन को यह अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर कोई रूलिंग दे दें, 'Chairman may fix' **...(व्यवधान)...** इसमें यह कितने दिन का आएगा? **...(व्यवधान)...** सर, आप घंटी मत बजाइएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : It is up to the Chairman. Okay. Thank you.

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय मंत्री जी, मैं यह नहीं समझ पाया कि आप लोगों में क्यों विश्वास की कमी है और क्यों आप इलेक्शन से डरते हैं? अभी जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था तो आपके कुलीग ने उत्तर प्रदेश में जाकर बयान दे दिया कि अगर हम बहुमत में नहीं आएंगे तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। इसका क्या नतीजा हुआ? **...(व्यवधान)...** मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। इनके कुलीग इस सरकार में मंत्री हैं। उसका नतीजा उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या दिया? जब शक और शंका बढ़ती है, तो दूरी बढ़ती है। आपको क्या डर है? आप यह क्यों सोचते हैं कि हम नॉमिनेशन के माध्यम से ही सत्ता कर सकेंगे, नॉमिनेशन के माध्यम से हम रूल कर सकेंगे। यह कहां जरूरी है कि आप जिनको नॉमिनेट कर देंगे, वे हरीशचन्द्र के पुत्र होंगे, बिल्कुल ईमानदार होंगे और सही व्यवस्था रखेंगे? मैं आप से यह कह रहा हूं कि जो आपकी मंशा थी, तीसरा वर्ष चल रहा है, क्या वह पूरी हुई? आपने यहां दो-तीन चीजें कहीं हैं कि हम MCI बिल इसलिए ला रहे हैं कि देश में डॉक्टरों की कमी दूर कर सकें। आपने यह भी कहा है कि हम चार सालों में बनने वाले नए डॉक्टर्स के लिए एक नया रूल लाना चाहते हैं और हम विलेज डॉक्टर्स पैदा करेंगे। अभी तक आप उस पर कुछ नहीं कर पाए। आपने कहा है कि हम चार साल में विलेज डॉक्टर्स पैदा करेंगे, जो गांवों के लिए डॉक्टरी करेंगे और हम उन डॉक्टर्स के माध्यम से देश में डॉक्टर्स की कमी पूरी करेंगे, ताकि गांवों के लोगों को इलाज मिले।

आपने आज तक उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। आप इसमें जिक्र करते कि चूंकि वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम एक साल के लिए बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हमें समझ में आता कि आप जनता के हित की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि हम एम.बी.बी.एस. की सीट बढ़ाना चाहते हैं और 150, 200 मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे। अगर हॉस्टिपटल्स की सीट इतनी हो जाएंगी, वहाँ पर यह इन्फ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, तो आप कम से कम यह बताइए कि कितने मेडिकल कॉलेजेज की सीटें बढ़ीं? आप इस बिल को तीसरी बार ला रहे हैं, जब आप इस बिल को तीसरी बार ला रहे हैं तो कम से कम इसको तो बताइए। आपने पी.जी. कोर्स की बात कही। हमें बड़ी खुशी हुई जब आपने एक डीन पर, एक ही जगह दो पी.जी. सीट अलाऊ कीं। हमने आपसे 4 कहीं थीं, लेकिन आपने 2 की बात कही, चलिए कम से कम दूनी तो हुईं।

माननीय मंत्री जी, 2011 में, जब आपने डॉ. सरीन को एम.सी.आई. का चेयरमैन बनाया था, तो 2600 पी.जी. सीटें अप्रूव हुई थीं। इस बार, जब आपकी एम.सी.आई. है, यह नतीजा निकलकर आया है कि केवल

1200 हैं, जबकि 2600 पी.जी. सीटें अप्रूव हुई थीं। आप पी.जी. सीटें बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स बढ़ें और लोगों को देश में सही इलाज मिल सके, लेकिन वह नहीं मिला। अदालत पर कितना खर्च हुआ है? इस वर्ष एम.सी.आई. ने अदालत पर करीब 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। क्या इस देश में सब कुछ अदालत के निर्देश पर होगा? मुझे बड़ा दुःख होता है, श्रीमन्, मैं रो पड़ रहा हूं, जब विल पावर कमजोर होती है, तब अदालत हावी होती है, लेकिन विल पावर मजबूत होती है, तब कोर्ट कभी हावी नहीं होती है। लगता है कि आज इस सरकार में विल पावर नहीं है। हर चीज अदालत के निर्देश पर हो रही है, हर चीज जनता की इच्छा के अनुसार नहीं हो रही है। अगर जनता की इच्छानुसार चीज होती, जो शायद इतना पैसा खर्च नहीं होता। आप जो NCHRH की बात कर रहे हैं, आपने उसमें यह जो कहा है कि हम Bar Council, Architect Council को भी उसमें लेंगे और नर्सिंग, DCI, MCI भी उसमें होंगी, तो अभी आप सुनारों की हड़ताल तो झेल नहीं पाए हैं, इनको कैसे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी, अभी सुनारों पर टैक्स लग गया था, तब यह स्थिति बन गई थी, और अब आप बार काउंसिल को इसमें लेने की बात करते हैं, तो आप बरैया के छत्ते में हाथ डालने की बात कर रहे हैं। जिस दिन आपने बार Bar Council को लेने की बात कर दी, उस दिन सरकार नहीं रहेगी। देश में अगर वकीलों की हड़ताल हो गई, वकील हड़ताल पर चले गए, तो जो माहौल होगा, वह देखिएगा। अगर आप सबने तय कर लिया है कि 2014 में लौटकर नहीं आना है, हमको प्रॉक्सी के माध्यम पर रहना है, यदि यह तय है तो आप यह निर्णय लीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि जिस NCHRH के लिए आप कहते हैं कि आप इसको एक साल बढ़ा दीजिए, हम NCHRH लाएंगे और MCI खत्म कर देंगे, तो यह जरूरी नहीं है कि आपका वह NCHRH पास हो जाएगा। आप जहाँ पर वकीलों की बात करेंगे **...(समय की घंटी)... ...(व्यवधान)...** कौन आपको सपोर्ट करेगा?

श्रीमन्, मैं एक बात और कहता हूं कि आपने सी.बी.आई. को कुछ रेफर नहीं किया है कि वह मेडिकल कॉलेज देखे, न ही MCI ने सी.बी.आई. को मेडिकल कॉलेज रेफर किया है, फिर सी.बी.आई. मेडिकल कॉलेज कैसे देखने लगी? देश के सारे मेडिकल कॉलेज सी.बी.आई. की स्कैन में आ गए। यह पहली बार हुआ, जब डिपार्टमेंट ने रिकमेंड नहीं किया, MCI ने रिकमेंड नहीं किया, उसके बाद भी सी.बी.आई. उनको अपने स्कैनर में लेकर तमाम मेडिकल कॉलेजेस की जाँच कर रही है, तो माननीय मंत्री जी इसको लावारिस मत छोड़िए। यह नहीं होना चाहिए कि मिनिस्टर की पावर कम हो जाए और MCI की पावर ज्यादा हो। श्रीमन्, जिस दिन यह होने लगेगा, उस दिन यह प्रजातंत्र नहीं रहेगा। जो असली चीज है, वह हो। माननीय मंत्री जी, आप तो हमारे महामंत्री भी रहे हैं, मैं जब कांग्रेस में था, आप हमारे महामंत्री थे, हम आपसे बहुत कुछ सीखते थे **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कन्क्लूड कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल : हम अपने उस साथी को कमजोर नहीं देखना चाहते, हम उस साथी को मजबूत देखना चाहते हैं। आप कम से कम एक विल पावर के साथ तो यहाँ डिक्लेयर कीजिए। जैसा कि माया जी ने सुझाव दिया है, आप सिर्फ 6 महीने के लिए ले आइए, हम लोग तैयार हैं। आप 6 महीने के लिए ले आइए **...(व्यवधान)...** कहिए कि छह महीने के बाद हम लाएंगे और इलेक्शन कराएंगे, जो दो टर्म लड़ेगा, उसको तिबारा लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : कन्क्लूड कीजिए।

श्री नरेश अग्रवाल : साहब, हमने तो डिप्टी चेयरमैन की बात कर दी थी, आप तो फंसे नहीं, मैंने इसी वजह से शुरूआत की कि आप कहीं से तो मानें।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बोर्ड की तरफ देखिए।

श्री नरेश अग्रवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं, तो हनुमान चट्टी और जो छोटी-छोटी जगहें पड़ती हैं, उनको नमस्ते जरूर करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वे नाराज हो गए तो मालूम पड़ा कि बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हमें यहाँ जो कहना है, वह हमने शुरू में ही कह दिया है। हम लोग तो डिप्टी चेयरमैन **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बोर्ड की तरफ देखिए।

श्री नरेश अग्रवाल : आप घंटी कम बजाइए, हमारी विल पावर तो बनिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आदरणीय आजाद साहब, आप ऐसी कुछ घोषणा कीजिए, जिससे यह लगे कि आप वाकई में इसको इस कंट्री के हित में लाए हैं। अगर आप ऐसी कोई घोषणा करेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे, तो हम लोग भी सोचेंगे, इस बात को कंसिडर करेंगे। हम इस चीज के लिए एडामेंट नहीं हैं कि हमें कोई चीज खराब करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी चीज आए, वह जनता के हित में आए। अगर जनता के हित में आएगी, तो हम समर्थन करेंगे, अगर जनता के लिए में नहीं आई तो हम विरोध करेंगे, धन्यवाद।

SHRIMATI VASANTHI STANLEY (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012. Last year, Sir, I spoke on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2011, which sought to extend the term of the Board for one more year. I speak today, many months later on the same matter. I hope that I will not have to reiterate my stand next year also.

Here, Sir, I would like to repeat one question which I asked the Minister last time when he sought the extension. Has the Ministry checked the validity of the recommendations that the erstwhile Indian Medical Council made? What are the steps taken on that? If they are all genuine, then, how could Ketan Desai amass that much of wealth? What are the steps taken by the Ministry in this regard?

Sir, I have always stood here to support the Minister whether it was the working of the department, whether it was eradication of polio, whether it was increasing the medical seats, medical colleges, PG seats, etc. So, whatever steps he has initiated in the Ministry, I have always raised my voice to support him. But, Sir, there are certain questions concerning the extension of the term of Board of Governors. What is stopping the Government from holding elections in a democratic manner? Why is the Government seeking extension of tenure of the Board of Governors when democratic means can be used to restore the credibility of the Medical Council of India?

Sir, the Minister has replied that the Standing Committee's Report is awaited on the National Commission for Human Resource for Health Bill. Sir, I am also an active member of the Standing Committee, and, the Chairman of the Committee is also here in this House but so far, there is no uniform opinion arrived at on this subject. It is bad enough that the Board has had two years to dictate the terms of the functioning of the MCI. Why should we extend its tenure now when democratic means can be used especially when the passage of the NCHRH Bill is not very close? There are many

Bills like Women Reservation Bill, the Lokpal Bill, having been passed in one House and not in the other House.

In a nutshell, if the NCHRH Bill is not passed in the next year, will the Parliament have to extend the term of the Board of Governors of the MCI again and again? This is a violation of the democratic nature of our country. If the Government is willing, the extension of the Board should be for only a few months, and, after that, democratic elections should be held regardless of the passage of the NCHRH Bill. Once the NCHRH Bill is passed, it will be totally a different matter altogether. Until then, let us attempt to function with the democratic ethos of our country.

Here, Sir, I have one more thing to mention. Sir, most of the medical colleges, medical institutions are in the South only. The current Board of Governors is not representative of the States in our country. There is barely any representation from South India. Why is this so? On what basis was the Board formed in the first place? I urge the Ministry to take notice of the breach of federalism and ensure that protocol is followed with regard to the federal nature of the nation.

In conclusion, Sir, I would like to say that the Ministry must attempt to examine the crux of this issue. In extending the term of the Board, it is not resolving any issue but, instead, it is adding to the ambiguity of the functioning of the MCI. A third extension is completely uncalled for.

Democracy is a positive step and it is the foundation of our nation's politics. We must reiterate it at all times. Once again, I thank you, Sir, for having given me this opportunity.

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं The Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, जो माननीय मंत्री, श्री गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा इस सदन में पेश किया गया है, के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इस हाउस में सभी लोग सहमत होंगे कि जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब मंत्री बने हैं, तब से उनका लगातार प्रयास रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य को कैसे ठीक किया जाए। इसी दिशा में एमसीआई में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसके तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार की जो घटना घटी, उसे पूरे देश ने मीडिया के द्वारा देखा। इस सदन के अन्दर और लोक सभा के अन्दर भी सभी सांसदों और मीडिया के लोगों ने इस बात को उठाया। सरकार के सामने, मंत्री जी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि उस समय एक ही मांग थी कि एमसीआई को भंग किया जाए और किसी तरह इसे भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। हालांकि सरकार उसमें हस्तक्षेप करने की नीयत कभी भी नहीं थी, क्योंकि एमसीआई आज से नहीं, कई वर्षों से चल रही है, इसलिए सरकार ने कभी भी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने की नीयत कभी भी सरकार की नहीं रही है, लेकिन जब यह परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद सरकार के सामने कोई और रास्ता नहीं था। सारे सदन के साथ मिल कर यह आवाज उठाई कि ऐसे भ्रष्ट एमसीआई के अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जब वह रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में उनको बनाए रखना उचित भी नहीं था, इसीलिए यह कदम उठाया गया।

[श्री तारिक अनवर]

यह बात भी सही है कि उस समय यह कहा गया कि एक साल के लिए ही यह ऑर्डिनेंस या यह बिल रहेगा और एमसीआई के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाए गए हैं, वे केवल एक वर्ष के लिए होंगे। इसके बाद सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास होता रहा है कि इस संस्था को दोबारा एक लोकतान्त्रिक ढांचे में लाया जाए, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं, जैसा मंत्री जी ने शुरू में अपने बयान में कहा कि जो NCHRH Bill है, वह ऑलरेडी राज्य सभा में इंट्रोड्यूस हो चुका था। अब वह बिल संसद की स्थायी समिति के समक्ष विचाराधीन है। जब तक वह बिल वहां से वापस नहीं आएगा, तब तक उसे उसका स्वरूप नहीं दिया जा सकता।

मैं इतना ही कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग हमारे देश के लिए एक बहुत ही आवश्यक विभाग है। आज हम देखते हैं कि इस देश के जो गरीब लोग हैं, उनको स्वास्थ्य की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। हालांकि शहरों में हमने कोशिश की है, प्रयास किया है, इसलिए किसी हद तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन गाँवों में आज भी डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं, अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं, दवाईयाँ उपलब्ध नहीं हैं। इस परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग को मज़बूत करने के लिए, उसके कार्यकलाप को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी स्वास्थ्य की पढ़ाई की जो गुणवत्ता है, उसे बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, मंत्री जी जो बिल लाए हैं, आने वाले दिनों में सरकार यह चाहती है कि एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कानून बने, एक ऐसी संस्था बने, जिसके द्वारा इस विभाग को, खास तौर पर एमसीआई को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए। क्योंकि अगर एमसीआई में इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, तो उससे किस तरीके के मेडिकल कॉलेज बनेंगे, किस तरीके के डॉक्टर्स निकल कर आएंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है।

मुझे विश्वास है कि सरकार जो बिल आई है और जो एक साल की अवधि ये मांग रहे हैं, आने वाले एक साल के अन्दर वे जरूर इस बात का प्रयास करेंगे कि एमसीआई का जो लोकतान्त्रिक ढांचा है, वह दोबारा वापस हो सके, एमसीआई की क्रेडिबिलिटी वापस हो सके और साथ ही मेडिकल काउंसिल की ग्लोरी वापस हो सके। धन्यवाद।

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha) : Hon. Vice-Chairman, Sir, I stand here to support this Amendment Bill. But I want to mention certain points which are very important for the Department of Health or the health service of this country. The Medical Council of India was blamed for corruption, nepotism, malpractices and lack of democratic functioning. It is a serious concern for the country. Millions of our people depend on health service every day. Its organisation is spread throughout the India, from Delhi to remote villages of the country. The health service in our country is in a shambles like our education system. But I appreciate the fact that the hon. Minister is trying hard to bring essential changes in the system and to develop it. I thank the hon. Minister for visiting Bhubaneswar and supervising the progress of AIIMS, which was very kindly granted by the Centre to our State. I do not know the political mission behind it, but I appreciate it that the Minister personally visited and inspected the construction of the infrastructure. He made an announcement regarding recruitment of doctors. I read in newspapers that hundreds of best doctors for AIIMS of Bhubaneswar, specialists who are working in different medical colleges and hospitals in our State have applied for AIIMS, Bhubaneswar. If the best and talented doctors of Odisha join

AIIMS, what will be the position of those hospitals? The hon. Minister should keep it in mind and pay attention to it that the hospitals on which most of the people depend in our State should not be disturbed. Their standard or quality should not be decreased. I have a proposal. When you recruit specialists for AIIMS in different States, please allow the best doctors who are working in private hospitals. Or you allow Indian doctors working abroad to join it. Give them alluring salary and good working conditions.

The National Commission for Human Resources for Health is a new idea. Definitely, it is a good idea. But who knows that this organisation will not go the way in which the Medical Council of India went a few years back. In this connection, I want to know this from the hon. Minister. What steps have you taken against the guilty persons, the corrupt office bearers of the Medical Council against whom the CBI also gave the report? The House should know it and the people of the country should know it so that it is not repeated in the case of NCHRH. I know that I do not have much time at my disposal. The Minister, with good intention, wants to extend the tenure of Board of Directors for one year. I don't think we will disagree with this. I only hope that the system would work properly and serve the people and the country in a better way. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI N. BALAGANGA (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to present my views on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012. The only purpose of the Bill is to extend the term of the *ad hoc* Board of Governors of MCI by one more year. It is pertinent to point out here that the Indian Medical Council Act was amended in 2010 after a huge scam was unearthed which was done by none other than the then Chairman of MCI. It was again amended in 2011 and now, it is being done for the third time.

Sir, after the detection of the scam and sacking of the then Chairman of MCI, the Government entrusted the administration of the MCI to the Board of Governors selected by the Government of India.

Mr. Minister, Sir, as expected by you and the Government, the administration of MCI Board of Governors is not up to the mark and praiseworthy. There are reports which show that the Board of Governors itself is violating rules, flouting norms and flouting them to the hilt and granting permission to certain people to start M.B.B.S. and postgraduate courses. For example, a medical college, namely, ICARE Medical College, Haldia, West Bengal was issued a letter of permission despite gross deficiencies in the assessment report itself. This matter came to the notice of the State Government of West Bengal and the State Government relentlessly pursued the matter and finally, cancelled the letter of essentiality certificate. Then only, the Board of Governors was compelled and forced to cancel the letter of permission. This is one of the clinching evidence which portray the style of administration of the Board of Governors. Sir, I

[SHRI N. BALAGANGA]

would request the Minister to enlighten us as to what proposal the Government has in its hands to rectify this type of malpractices.

Sir, I would like to point out another point. The hon. Minister of Health wants to extend it for one more year through this amendment. By which time, he expects to pass the National Commission for Human Resources for Health Bill which could be an umbrella body for MCI, Dental Council of India, Pharmaceutical Council of India and Nursing Council of India? If this is so, we vehemently oppose the move of the Government. When the Minister wants to set up a National Commission for Human Resources for Health, will he not be encroaching upon the powers of the State? In this regard, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, *Puratchi Thalaivi Amma,* had written a letter to the Prime Minister of India, objecting to the very creation of this Commission. The States would be left with practically no role to play, leaving nothing to the States with regard to the issues like manpower planning, course designing, choosing of curriculum, etc. Hence, I would urge upon the Government to keep the State interest in mind while setting up such a Commission.

Sir, coming to the other aspects, I would like to convey my concern that there is an acute shortage of doctors in almost all the super speciality hospitals including AIIMS. The statistics show that in India, we have one doctor for 1700 patients whereas in US, they have one doctor for 900 patients approximately. This being so, the existing doctors in hospitals like AIIMS are leaving their jobs and joining private hospitals, which lure them with higher pay package. The Government has to ponder over this to stop this migration of doctors from the Government sector to the private sector. There is a report which states that AIIMS is facing a crisis as faculty members continue to quit.

About one dozen specialist doctors left the Institute during the last one year. The picture is gloomy because nearly 50 senior doctors would be retiring in the next three years. It further says that 300 posts of Assistant Professors, 9 Additional Professors, 16 Associate Professors and about a dozen Nursing Lecturer posts are lying vacant. This report further states that an advertisement of a private hospital for recruiting doctors was pasted outside the Director’s Office in AIIMS. It is a shame that such a thing has been allowed to happen inside the AIIMS campus.

Therefore, I urge upon the Government to have a continuous recruitment drive. There should be a scheme by which the faculty should be retained. Thank you.

SHRI Y.S. CHOWDARY (Andhra Pradesh) : Sir, the Indian Medical Council Act was originally brought in 1956. It has been working extremely well for almost 50 to 55 years. Subsequently, prior to 2010, for five to six years, the CBI has been overviewing it and a couple of times, the Medical Council of India has been raided. It is obvious that everything was hushed up and managed and it was allowed to do all kinds of malpractices and things like that. The Government and the Ministry have

become mere spectators. Even in 2010, when the Bill was finally brought, action was taken by the CBI, based on which the then President was arrested. It is really surprising to note that the whole thing has not happened overnight, like a magic. Fine, it has happened. The Ministry brought it before the House for ratification and asked for one year's time to form a proper Council again in a democratic way, particularly representing the whole country. It is really unfortunate that the hon. Minister is bringing it again and again. Last year, he brought it for taking one more year's extension. I am really unable to understand it. Are our Ministry and the Government so weak? Are we not in a position to reestablish a democratic autonomous body? Is the Government doing it for backdoor control? In fact, it reminds me of a small joke. When I was studying in intermediate, for two years I could not see a movie other than 'Yadon Ki Barat'. There was only one movie for continuously two years. Like that, the Ministry is coming every year for seeking extension. *Ad hocism*, as it is, is very bad. Moreover, if we see all over the world, our Indian doctors have got special quality and capability. Their foundation was extremely good. Our education system, particularly health care, is very important from our country's point of view. So such things are definitely not acceptable. By any chance, if the Prime Minister decides to run the whole country single handedly, is it possible? Is it possible without delegating powers and without creating autonomous institutions? This is really unfortunate to come to such a stage. In fact, in the last two years, so many scams have unearthed. There was no mention of any of these scams. The same story, the same saga have been continuing. There is no reply from the Minister. What is the guarantee that it will be completed in the next year also? We are not able to understand it.

I strongly oppose this Bill. Getting more time again shows the inefficiency of the Government. Thank you.

DR. NAJMA A. HEPTULLA (Madhya Pradesh) : Sir, there are so many flies in the House and they have not been duly elected or taken oath. So, something should be done. We are really fed up of all this. There are a lot of mosquitoes here.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka) : Sir, kindly direct the Health Minister to take care of this.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mr. Secretary-General, please take note of this. ...(*Interruptions*)... Yes, it has been taken note of.

DR. ASHOK S. GANGULY (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I don't want to go into the history of why a situation has arisen. I am sure the hon. Minister has heard carefully that this sort of *ad hoc* arrangements cannot continue for long. However, the complexity and the history of the Medical Council, which had to be dissolved in 2010, was so malodorous that the hon. Minister had an enormous job to find people of eminence from the medical profession to come and repair one of the most prestigious

[DR. ASHOK S. GANGULY]

institutions of this country which had been ruined by completion. And, Mr. Minister, I compliment you that the people, you chose for reconstituting the Medical Council in 2010, were, indeed, outstanding professional of reputation from all over India, and there was a sense of relief that professional people of the highest integrity had been brought into the Governing Council. It is, unfortunate, that their term ended after one year, and another group had to be constituted. When the electoral college has been properly scrutinized and brought up-to-date, which, I am sure, you propose to do, and elections are held to the IMC, in order not to face the consequence of the whole Board of Governors having to be elected every year, you may consider so that two or three members of the Board of Governors retire every year by turn so that there is some continuity. I would suggest that you kindly consider this suggestion, when you are framing the rules, for making this a more statutory rather an *ad hoc* body. Now, the challenge is, how do we persuade people of eminence, well-known doctors in this country, who are extremely busy, to devote their time to the serve highest medical body in this country for the year? If we can reassure them that they will enjoy the autonomy that they enjoy in their profession, and in their decision-making, then, a lot of illness that has descended upon medical education, particularly, in private medical education in this country, will start getting cured. We are too poor a country to be only at the whims of privately funded medical colleges and doctors who may not be fully qualified; I do not wish to cast any aspersions on private medical colleges. But this is an issue which we have to face, and a large numbers of very good doctors leaving this country every year is something which we have to urgently attend to. What I also suggest is that once you have reconstituted the IMC and once the electoral college has been updated, once you are able to persuade people of eminence to spend their precious time to give a halo and substance to the Indian Medical Council that it deserves, kindly make sure that this process of autonomy, reputation and highest order of honesty is maintained, and we do not start changing the rules every few years which would very much upset the people of medical profession who are of highest integrity and ability, support the view that you need a little more time. I would like to persuade all my friends that we should give you the time. The Minister has heard a lot of important advice that have come from Hon. Members from across the House. But the Indian Medical Council is too important and too pre-eminent an organization to fall between the cracks of the debate that we are holding. Thank you, Sir.

SHRI M. P. ACHUTHAN (Kerala) : Sir, this Bill is a classical example of *ad hochism*, which has become a hallmark of this Government. I never expected from a seasoned politician like Mr. Ghulam Nabi Azad breaching a commitment made to this House. When he sought to supersede the MCI, he illustrated the reasons. One is corruption and MCI has failed to check the unethical practices in medical education. But what is the experience of the last two years? We see corruption is rampant. The

actors have changed. I will just give you one example. Last month, in Calicut, a team from MCI came to inspect a private medical college. They got the prior information and instead of patients, they hired construction workers in the hospital to be patients. It was reported in the media and no action was taken. Some of our colleagues were illustrating such incidents all over India. So, this is what is going on in our country the self-financing colleges and private medical colleges are increasing and you are giving encouragement for the private medical colleges, self-financing colleges. There, the motive is 'profit' and not to improve medical education. In such a situation, what must be the role of MCI? It must be an autonomous body, an elected body with reputation. Unfortunately, you have failed to ensure the autonomy of MCI, the efficient working of MCI and getting eminent persons, men of integrity in the MCI. The last President of MCI, Mr. Ketan Desai, was caught by CBI. The Minister must clarify this in the House as to what is the position of the case and what action has been taken. Now, the Minister has promised that a comprehensive Bill is coming, covering the Pharmacy Council, Nursing Council and everything. And unfortunately, for the delay the blame in put on Parliament, *i.e*. the Standing Committee. The Standing Committee does not clear it; so, the delay. Is it an excuse for the delay in the last two years? You are blaming the Standing Committee. Why can't you have elections in the MCI? You can bar the people who are caught with corrupt practices or who are involved in some allegations and whose integrity is being questioned. You can bar them from contesting the elections. I request the Minister to make a firm commitment in the House that within six months you will hold elections and that we will have an elected MCI Health is a State subject and the voices of the State must be represented or reflected in the functioning of the MCI. If the Minister gives a commitment to the House that within six months he will hold elections, then only I will request the Members to support this Bill. Otherwise, we have to oppose and defeat this Bill.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Odisha) : Sir, I rise here to support the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012. As it has been said that this is a very small amendment for asking only one years' time ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) : That is okay. That is okay.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA : This is not a single incident happening in this country. In this country, there are many instances, in many State Governments and also in the Central Government. Many times it has happened. This is not the first time that this is happening in this country. ...(*Interruptions*)... The Minister has clearly stated that it is not correct to say that the Congress does not want a democratic body; as has been alleged.

Many people have said in this House also. It is only the Congress Party and former Prime Minister, Shri Rajiv Gandhi, brought an amendment to the Constitution to delegate powers to Panchayats, Nagarapalikas and Municipalities. It is only Shri

[SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA]

Rajiv Gandhi who had brought an amendment in this country to give voting power to youth who have acquired 18 years of age.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : You speak on the subject.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA : I am coming to the subject.

Sir, the Congress is equally interested to create a democratic body for MCI. But the question is this ...(*Interruptions*)... Yes, it is the UPA. As it has been said, we are all political leaders. Let us not accuse each other and say many things which are not proper to mention in this House. It is not correct to say that something is happening under the nose of the hon. Minister or the hon. Minister is directly responsible. It is not correct. The Minister alone is not the Government. There are Secretaries, there are directors and there are many other officials And, Sir, Bill is not prepared by the hon. Minister alone, there are many persons and many things are involved in the preparation of a Bill.

Sir, the hon. Minister has said that he is awaiting the Report of the Standing Committee on the proposed National Commission for Human Resources for Health Bill. The Standing is examining it. What is wrong in it? We are all Members of the Standing Committee. When we are examining it, we are also supposed to give the Report within a stipulated time. But, here, we are asking the Government that everything should happen on time! But, when it comes to us, we say that we may submit the Report in time or we may not submit the Report in time. The Standing Committee is constituted by the House. The House has also the right to get the Report in time. That is also the expectation of the House. I do not say when the Standing Committee submits its Report. But, it is also expected that the Standing Committee may accept the Bill or may not accept it or may amend it or give new suggestions. But, the Standing Committee is expected to submit its Report to the House ...(*Interruptions*)... Yes, the Standing Committee is expected to submit its Report ...(*Interruptions*)... The Standing Committee gives its Report on time.

Now, the question is, the hon. Minister has asked only for time. The hon. Minister, after taking over this Ministry, as has been said by Mr. Parida, he has taken initiative for setting up of six AIIMS-like institutes. He is trying to implement the NRHM all over the country. He has also taken initiative to develop infrastructure in health sector and in all States. Also, Sir, good infrastructure development has taken place. The UPA Government has also taken initiative of increasing the Budget for the Ministry of Health and Family Welfare. So, saying that the hon. Minister is not doing right thing is not correct. The hon. Minister is trying his best to do the needful.

Sir, so far as the medical colleges are concerned, I would like to inform this august House that the hon. Minister has reduced the conditions for setting up of medical

colleges so as to increase the number of seats to facilitate our students to become doctors. The UPA Government, through the ESI Scheme, is bringing 17 medical colleges in the country and another 10 medical colleges are also coming up. Sir, the NTPC, CIL and other public sector companies are also setting up of medical colleges for students to become doctors. The State and the Central Governments do not have enough money to set up medical colleges which are required for the country and cater to the needs of the people of this country. Now, what to do? When the State and the Central Governments do not have money to set up medical colleges and even when money from the State and Central public sectors is not enough, what to do?

So, we must, in the interest of the country and in the interest of students, allow private individuals, those who can afford, to invest their money and open medical colleges. Sir, I do not support corruption. I strongly urge upon the hon. Minister to take strict action against those who have been responsible for corruption in the past. The Health Minister should also assure the House that if any act of corruption or malpractice is noticed in future, stringent action would be taken.

Sir, in my opinion, the time-limit sought by the Minister is reasonable. Many hon. Members have expressed that, even though the hon. Minister has asked for one year's time, he has been trying to constitute this committee soon so that it could start functioning and so that the due democratic process could be followed.

With these words, I conclude my speech, Sir.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (Assam) : Thank you very much, Sir, for the opportunity given to me to make some observations on this Bill. This is an important Bill which seeks to amend the Medical Council of India Act of 1956.

Sir, this is a stop-gap arrangement. The Statement of Objects and Reasons states, in para 2, "Meanwhile the Central Government initiated a proposal to set up a National Commission for Human Resources for Health as an overarching regulatory body which would subsume certain Councils like the Medical Council of India and the Dental Council of India in it". Nobody is opposing this Bill, Sir. Most of the hon. Members have made only one point and, that is, that the democratic process for constituting the Board of Governors should be followed, and that the Government must avoid *ad hocism*. I would humbly request the hon. Minister to accept this request and take necessary steps in this regard.

Sir, the Dental Council of India received 492 applications for establishment of new dental colleges, for starting MDS courses, for increasing the seats for BDS/MDS and for starting Diploma courses. I would like to talk about the functioning of the Dental Council of India. Under Section 10A of the Dentists Act, 1948, the Council has permitted only three dental colleges to increase their seats, to establish only four dental colleges, and for MDS courses in 153 specialities at 52 dental colleges. Sir, you would

[SHRI KUMAR DEEPAK DAS]

be surprised to know that not a single dental college has been sanctioned for the North-Eastern Region. We have one Regional Dental College in Guwahati and it has only a few MDS seats. Time and again, we have been requesting the hon. Health Minister to increase the number of MDS seats, but the Government has done nothing in this regard. I would like to request the Government and the hon. Minister to take necessary action in this regard and expand dental education in the North-east.

Sir, the people of the North-east smell corruption in the granting of permission for opening new dental colleges/MDS courses. Would the hon. Minister like to react to this allegation? Would he come forward with an explanation to the House? Will the Government expedite increasing the number of seats for dental education courses in the North-Eastern Region?

Sir, India has the largest number of medical colleges in the world, producing more than 30,000 doctors and 18,000 specialists every year. However, India's average annual output is 100 graduates per medical college, in comparison to 110 in North-America, 125 in Central Europe, 149 in Western Europe and 220 in Eastern Europe.

China has 188 colleges which churn out 1,75,000 doctors annually, with an average of 930 graduates per college. The number of allopathic doctors increases as per the ratio of one doctor per 1,963 or a density of 0.5 doctors per 1,000. However, the ability of the doctors as per the current requirement is inadequate.

Lastly, I would like to raise one point here. The proposed NHCRH Bill had got into a rough weather because the Minister for Human Resource Development had announced the taking over of medical education in their proposed NCHER. So, I request the hon. Minister to inform us whether the Government has agreed to the handing over of the medical education to the Ministry of Human Resource Development or whether they would function independently.

With these words, I conclude my speech. I thank you for giving me the time to express my observations on this Bill.

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : सर, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। सर, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आजादी से पहले 1933 में गठित हुई थी। उसके बाद आजादी के बाद 1956 में गठित हुई और 1956 के बाद हमें अपने इस एक्ट को 2010 में संशोधित करना पड़ा, जब तत्कालीन एमसीआई के अध्यक्ष, जिनके ऊपर आरोप लगा कि पंजाब के एक प्राइवेट मेडिकल कालेज को मान्यता देने में, उन्होंने कथित तौर पर लगभग 2 करोड़ की रिश्वत लेने का काम किया। उस समय सरकार एक अध्यादेश लाई और उस मेडिकल काउंसिल को भंग करके एक नई व्यवस्था के तहत लगातार काम करने की कोशिश हो रही है। एडहॉक बेसिस पर एमसीआई गठित की गई, एक संचालक मंडल बनाया गया, उसमें लगभग 8 से 9 सदस्य थे और लगातार वही काम कर रहा है। हर साल माननीय मंत्री जी को एक्सटेंशन लेना पड़ रहा है और आज पुन: एक साल का एक्सटेंशन लेने की अनुमति लेने के लिए वे सदन में आए हैं।

4.00 P.M.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावना आम लोगों के साथ सम्बद्ध करता हूं कि माननीय मंत्री जी को अविलम्ब एडहॉक सिस्टम को खत्म करके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से एमसीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था को चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्टेंडिंग कमेटी में यह मामला लम्बित है, मेरा आपसे निवेदन होगा कि स्टेंडिंग कमेटी से अनुरोध करके यथाशीघ्र वे अपनी भावनाओं को, अपनी अनुशंसाओं को भेजें, ताकि सही ढंग से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से एमसीआई काम कर सके। इसका काम है - खासतौर से कॉलेजों को मान्यता देना, चिकित्सा सुविधा देखना और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनको मेडिकल काउंसिल देखने का काम करती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश में इस समय लगभग 355 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें निजी मेडिकल कॉलेज 150 हैं और इन्हीं मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से एक अरब 20 करोड़ जो अवाम है, उसके हित को केयर करने का काम कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज का अभाव है। कहीं पर बड़े पैमाने पर डाक्टर्स का अभाव है, अस्पतालों में बेड की कमी है, दवा की कमी है, मेडिकल उपकरणों की कमी है, जिनकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इनके बारे में सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। जो पिछड़े प्रदेश हैं, जैसे हमारा बिहार है, जहां पर निजी और सरकारी कुल मिलाकर के 10 मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 38 लाख है।

मैं समझता हूं कि आपने बड़ी कृपा की है। आपने वहां एक AIIMS दिया है, लेकिन वह अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और पता नहीं वह कब तक बनेगा। उस पर बहुत धीरे काम हो रहा है, इसलिए आप उस पर गौर फरमाइए तथा उसको जल्दी चालू करवाइए। सरकार का उसको 2012 में चालू करवाने का कमिटमेंट था। लोग बड़े पैमाने पर बिहार से आकर दिल्ली AIIMS में अपना इलाज करवाते हैं और उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक-एक पेशन्ट को एक-एक साल तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के AIIMS पर बहुत ज्यादा लोड है। **...(व्यवधान)...** सर, आप तो बस....। सर, अभी कर रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप खत्म कीजिए। सबको पांच मिनट का समय दिया है।

श्री राम कृपाल यादव : सर, ठीक है, मैं पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा, लेकिन अभी तो चार मिनट ही हुए हैं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : अभी चार मिनट हो गए हैं, एक मिनट बाकी है।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बहुत-सी कमियां हैं। सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जैसे राजीव गांधी हेल्थ मिशन योजना है। इसके द्वारा गांव के स्तर पर बहुत सी दवाएं उपलब्ध कराना और डॉक्टर्स की कमी को दूर करना इत्यादि कई तरह की समस्याएं इससे दूर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह अपर्याप्त है। उस पर पहल करने के लिए सरकार को और भी कुछ करना चाहिए तथा और मेडिकल कॉलेज खुलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज निजी तौर पर खुलें, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपकी सख्त कंडिशन्स है, उनमें ढील देनी चाहिए। सर, अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। एक हॉस्पिटल में जहां 600 डॉक्टर्स होने चाहिएं, वहां केवल 200 ही डॉक्टर्स हैं। **...(समय की घंटी)...** मैं तो यह कहूंगा कि बिहार जैसे प्रदेश में एक लाख की आबादी पर एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर कितने लोगों का इलाज कर सकता है, यह समझा जा सकता है। **...(व्यवधान)...**

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं समझता हूं कि इसी तरह पूरे देश के पैमाने पर यह स्थिति है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव : जिसकी वजह से प्रॉपर मेडिकल केयर होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि यह नहीं हो पा रही है। सर, स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसका सही ढंग से उपयोग करना बहुत जरूरी है। जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने का काम कीजिए। प्राइवेट निजी कॉलेज में जिस तरह से व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको कम करने की कोशिश करिए। **...(समय की घंटी)...** जो व्यवस्था चिकित्सा में है, उसको निश्चित तौर पर देखने का काम कीजिए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बैठिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं बैठ रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : That is enough.

SHRI RAM KRIPAL YADAV : I am going to conclude, Sir, प्लीज़ एक मिनट दीजिए।

उपासभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बस, हो गया। आप बैठिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, मैं बैठ रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : This is not going on record. ...(*Interruptions*)... Not going on record. It is over.

श्री राम कृपाल यादव : *

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : सब लोगों को पांच-पांच मिनट दिए हैं। आपने 6 मिनट लिए हैं। No more time, please. ...(*Interruptions*)... Not going on record. Not going on record, please. श्री जय प्रकाश नारायण सिंह। जय प्रकाश जी, आप तीन मिनट लीजिए, आपका नाम बहुत लेट आया है।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह (झारखंड) : सर, हम लोग पीछे की बेंच पर बैठते हैं और हम लोगों को समय भी पीछे का ही मिलता है। हमें भारत की जनता के स्वास्थ की चिंता प्रकट करनी है, इसलिए आप कम से कम बीस मिनट का समय दीजिए।

मान्यवर, मैं इडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2012 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व मेडिकल काउंसिल को भंग करके बोर्ड का गठन किया है। पहले प्रजातांत्रिक ढंग से काउंसिल का गठन होता था। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेडिकल काउंसिल को पुन: बहाल किया जाए। यूपीए-1, यूपीए-2 और प्रधान मंत्री जी ने सरकार में बैठने से पूर्व वायदा किया था कि हम जनता के स्वास्थ्य पर और दवाई पर पूरा खर्च करेंगे।

अभी इसमें यह स्थिति है। वे कहते हैं कि जो जी.डी.पी. का रेट है, हम उसके रेट का 2.5% खर्च करेंगे, जबकि 1.4% खर्च हो रहा है। देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन मेडिकल डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ रही है। प्राइवेट मेडिकल colleges की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उस अनुपात में सरकारी मेडिकल colleges की संख्या घट रही है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना चाहिए। जो सरकारी मेडिकल colleges हैं, उनमें एम.डी. की पढ़ाई की मान्यता नहीं मिलती, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को एम.डी. की पढ़ाई

* Not recorded.

की मान्यता मिलती है, इसीलिए विद्यार्थी उनमें ज्यादा पढ़ने जाते हैं कि जब हम पढ़ेंगे, एम.डी. करेंगे, तो तुरंत प्रोफेसर बन जाएंगे, हमें अच्छे कॉलेज में नौकरी मिल जाएगी। आज मेडिकल डॉक्टर बनाने पर इतना खर्चा आता है कि जो गार्जियन है, उसके लिए वह खर्च वहन करना, उसकी औकात से बाहर की बात है, इसीलिए सरकारी मेडिकल colleges की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। मंत्री जी ने, तीन साल पहले लोक सभा में अपना जो उत्तर दिया था, मैं उसको कोट कर रहा हूं। अभी भारतवर्ष में 335 मेडिकल colleges हैं, जिसमें से 220 मेडिकल colleges सिर्फ दक्षिणी और पश्चिमी भाग में हैं। मंत्री जी ने यह बात कही है, The number of medical colleges for which approval was given by the Medical Council of India, MCI, during the last five years and the number out of them set up till date in the country, जो स्टेटवाइज दिए हुए हैं, मंत्री जी कहते हैं कि Medical college की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट के प्रपोजल से होती है। मैं मंत्री जी को उनके आंकड़ों के आधार पर यह बात बताना चाहता हूं कि 21 राज्यों ने Medical college की स्थापना की मांग की थी। यह आपका राज्यवार आंकड़ा है कि 2007-08 में 9 राज्यों ने मांग की थी, 2008-09 में 19 स्टेट्स ने मांग की थी, 2009-10 में 11 स्टेट्स ने मांग की थी। 2010-11 में 14 स्टेट्स ने मांग की थी और 2011-12 में 21 स्टेट्स ने मांग की थी। इस तरह से आपने कुल मिलाकर 74 Medical college की स्थापना की स्वीकृति दी। यह बताता है कि आपने तत्पश्चात कितने Medical college को अप्रूव किया, इस संदर्भ में, मंत्री जी द्वारा लोक सभा में दिए हुए वक्तव्य का आंकड़ा है। यह कहता है कि, In the academic year 2008, we have received applications.., Medical college खोलने के जो आवेदन प्राप्त हुए, वे 14 हैं, लेकिन उनमें से मात्र 1 कॉलेज को सैंक्शन दी है। 2010-11 में 11 राज्यों ने मांग की, उनमें से 6 अप्रूव किए गए, 2011-12 में 21 स्टेट्स ने Medical college खोलने की मांग की थी, लेकिन आपने सिर्फ 5 की मंजूरी दी और 2012-13 में 18 स्टेट्स ने मांग की है, जिस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ओ.के., समाप्त कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : इतना मोटा पोथा है, इसको लोगों को सुनाने तो दीजिए **...(व्यवधान)...** बहुत मेहनत की है **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : क्या करें, आपकी पार्टी का टाइम खत्म हो गया है।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, हम पीछे के बेंच पर बैठते हैं, इसलिए हमें पीछे का समय मिलता है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुयिरन) : नहीं, आपका समय हो गया है।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, The total proposal received from the State Governments in the last three years, for current year it is 64, and proposals approved during the last three years 12. आपने 64 में से सिर्फ 12 को approve किया है। देश में डॉक्टर्स की जो कमी है, आप उसको कैसे पूरा करेंगे? अगर मेडिकल काउंसिल और केंद्र सरकार की तरफ से यही (Ratio) रेश्यो रहा, तो इस देश में कभी भी डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से Doctor की कमी को पूरा करने के लिए आग्रह करूंगा। मैं इस बात को समझता हूं कि आप मुझे ज्यादा नहीं बोलने देंगे, इसीलिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूं। अभी स्टील प्लांट के दो मेडिकल हॉस्पिटल चल रहे हैं। एक हॉस्पिटल झारखंड के बोकारो में चल रहा है, जिसमें 800 Beds (सीट) हैं।

दूसरा भिलाई में है, जिसमें एक हजार Beds (सीटें) हैं। हॉस्पिटल फर्स्ट क्लास चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह रिकमेंड किया है कि इसको मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी जाए। झारखंड सरकार ने यह

[श्री जय प्रकाश नारायण सिंह]

रिकमेंड किया कि बोकारो स्टील प्लांट के हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज की मान्यता दी जाए। अभी तक यह मान्यता प्राप्त नहीं हुई है, जबकि दोनों बैकवर्ड एरियाज़ में हैं। आप इनको मान्यता दीजिए और डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाइए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप बैठिए। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : सर, मुझे दो मिनट और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : नहीं, नहीं, आपका समय हो गया।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : सर, 6 एम्स खोलने की मंजूरी अटल जी के समय में दी गई थी। केन्द्र सरकार ने अभी इस पर पहल की है। यह अभी बिहार में चालू होने वाला है और दूसरे एम्स भी चालू होने वाले हैं। सरकार यह बात कबूल करती है कि देश में मेडिकल कॉलेज की कमी है। **...(व्यवधान)...** आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजिज़ ने मेडिकल की शिक्षा को इतना महँगा कर दिया है कि इस देश में डॉक्टर्स की कमी हो गई है। कुल 335 में से 180 सरकारी मेडिकल कॉलेजिज़ हैं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : आप अब समाप्त कीजिए।

श्री जय प्रकाश नारायण सिंह : ठीक है। थैंक्यू सर।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तकरीबन 19 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तीन-चार के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

किस तरह से और किन परिस्थितियों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करना पड़ा, इस सदन में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दूसरे दिन या शायद उसी दिन मेरा यहाँ क्वैश्चन ऑवर था और पूरा सदन खड़ा हो गया था। ठीक है, दो साल हो गए, हमारे कुछ साथी भूल गए होंगे, लेकिन उस वक्त वातावरण क्या था, दाएँ, बाएँ और सेंटर का। उस वक्त सदन के पास या सरकार के पास सिवाए इसके कोई चारा नहीं था कि उसको भंग कर दे और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दे। वह पुरानी कमेटी होती या आज का बीओजी होता, मैं उसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कल से मैं उस हाउस में और इस सदन में भी सुन रहा हूँ कि हमारे जो बहुत सारे नए प्रोपोजल्स हैं, उनसे वे सहमत नहीं हैं। वह दूसरी बात है, जब वे सदन के सामने आएँगे, तब हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर यह भंग नहीं हुआ होता, तो भी जब यूपीए-2 आई, उस वक्त सरकार ने महसूस किया कि एजुकेशन और हेल्थ के अन्दर एक ओवरआर्चिंग बॉडी बने। अभी मेडिकल काउंसिल एक अलग काउंसिल है, डेंटल काउंसिल एक अलग काउंसिल है, नर्सिंग की अलग काउंसिल है, फार्मेसी की अलग काउंसिल है। अलग-अलग काउंसिल्स अलग-अलग दिशा में जा रही हैं। इसी तरह से एजुकेशन में भी है। इन सबको सबस्यूम करके बॉडी बने, ये तमाम उसमें रहेंगी, ये अलग नहीं होंगी और इलेक्टेड रहेंगी। उसमें मेडिकल काउंसिल भी रहेगी, उसमें डेंटल काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहेगा, उसमें फार्मेसी काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहेगा, उसमें नर्सिंग काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहेगा। शायद उसके बारे में भी गलत जानकारी दी गई होगी कि हम उसमें वकील और दूसरे लोग, एमपीज़ वगैरह रखेंगे। वे इन्हीं के इलेक्टेड लोग होंगे। हाँ, दूसरे भी, और भी इसी फ्रैटर्निटी के दूसरे लोग भी होंगे, which will constitute an overarching body, known as the National Council for Human Resources for Health. यह बनेगी। यह काम parallely इस dissolution से पहले ही शुरू हो गया था। उससे पहले ही एनसीएचआरएच की एक टास्क फोर्स बन गई थी, उस पर काम हो चुका था और टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ गई थी।

जिस वक्त हमने इस हाउस की अनुमति ली कि एक साल के अन्दर-अन्दर यह हो जाना चाहिए, उस वक्त हमारा अनुमान था कि एक साल के अन्दर हम Overarching Body का एक नया बिल ले आएंगे, लेकिन ज्यों-ज्यों हम उसके अन्दर गए, त्यों-त्यों हमने देखा कि जरूरियात और ज्यादा बढ़ गईं। जब हमने इसको डिस्कस किया, इसे वेब साइट पर लाए, तो 20 स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने भी इच्छा प्रकट की कि हमसे भी इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसलिए तमाम राज्य सरकारों से चर्चा की गई। जब उनसे चर्चा हुई, उस समय उन्होंने जो सुझाव दिए, उनको इन्कॉर्पोरेट किया गया। उसके बाद यह महसूस हुआ कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सब जगह रीजनल कॉन्फरेंसिज़ भी करनी चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चान्सलर्स आएं, मेडिकल कॉलेजिज़ के प्रिंसिपल्स आएं साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेज़ेंटेटिव्स भी आएं। इस तरह से पाँच रीजनल कॉन्फरेंसिज़ हुईं, जिनमें वाइस चान्सलर्स, मेडिकल कॉलेजिज़ के एकेडेमीशियन्स, प्रोफेशनल्स, प्रिंसिपल्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेज़ेंटेटिव्स भी आए। तब तक हमारा एक साल का समय दोबारा खत्म हो गया और हमें फिर से एक साल का एक्सटेंशन लेना पड़ा। इसके बाद हमने देश के तमाम हेल्थ मिनिस्टर्स और तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ ऑफ हेल्थ को यहाँ बुलाया। उन्होंने यूनानिमसली इसको पास किया, एक्सेप्ट केरल की जो तत्कालीन सरकार थी, क्योंकि उसने इसको माना नहीं। उन्होंने जो कुछ भी सुझाव दिए, उनको हमने इन्कॉर्पोरेट किया।

इसके बाद जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ भी चर्चा हुई, जिसकी वजह से हमें तकरीबन डेढ़ साल लग गया। कुल मिला कर जब एप्रूवल आया, तो उसे पास करके हमने पिछले साल दिसम्बर में इसी सदन में NCHRH Bill रखा और माननीय सभापति जी ने उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया। हमें यह उम्मीद थी कि हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी से यह बिल फरवरी-मार्च तक वापस आ जाएगा और अप्रैल-मई में, इसी बजट सैशन में हम उसे पास कर देंगे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की अपनी मजबूरी है, वह उसे इस सैशन तक नहीं दे पाई।

इधर हमने दूसरी दफा हाउस की जो अनुमति ली थी, वह 14 मई को खत्म हो रही है। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से बिल आया नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए। हमारे पास फिर यही एक रास्ता था कि हम लोग सभा के पास जाएं, राज्य सभा के पास जाएं और एक साल और इसके लिए मांगे। लेकिन मैं यह साफ जाहिर कर देना चाहता हूं कि एक साल एक आउटर लिमिट है। मैंने स्टैंडिंग कमेटी का ध्यान इस तरफ आकर्षित भी किया है। आज ही मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि वह हमें एक-दो महीने के अन्दर-अन्दर ही इसे दे दें। मैं सदन को यकीन दिलाता हूं कि जितनी जल्दी हमें स्टैंडिंग कमेटी से बिल मिलेगा, उसके एक-आध महीने के अन्दर ही हम अपनी फॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीट कर लेंगे और जो भी नेक्स्ट सैशन आएगा, चाहे वह मानसून सैशन हो या विंटर सैशन हो, उसमें हम उस बिल को ले आएंगे। मैं ऐसी स्थिति भी नहीं चाहता कि आप कहें कि छ: महीने या तीन महीने में ही इसे लाओ। अगर तीन महीने में स्टैंडिंग कमेटी ने मुझे बिल ही न भेजा, तब आप कहेंगे कि आपने तो सदन को तीन महीने का समय बताया था। इसलिए जब तक स्टैंडिंग कमेटी से बिल नहीं आता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी या उनसे कैसे डील करना है, वह दूसरा मुद्दा है, लेकिन अगर एक बिल स्टैंडिंग कमेटी में अंडर डिस्कशन हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम उसे सदन में नहीं ला सकते हैं। इन हालात में, इन परिस्थितियों में सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक तो यह कारण है कि क्यों हम यह लाना चाहते हैं।

सर, दूसरा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, कुछ उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल हो, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो या आज का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो, सरकार की तरफ से उसमें कोई भ इंटरफीयरेंस नहीं होती, चाहे वह मिनिस्टर हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो। मैं यहां यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि pre-dissolution

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऐक्ट था, उसमें एक ही जो प्रोवीज़न था, वह यह 10(a) का प्रोवीज़न था।

उस प्रोविज़न के अन्तर्गत अगर मेडिकल काउंसिल किसी भी मेडिकल कॉलेज को रिजेक्ट करती थी, तो 10(a) के अन्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को ये पावर्स थीं कि हेल्थ मिनिस्ट्री उसकी इंडिपेंडेंट, अलग से इनक्वायरी करके उसको परमिशन दे सकती थी। लेकिन, जब 2010 में हम ऑर्डिनेंस लाये और उसे भंग कर दिया, तो यह शायद पहली दफा होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी पावर काट कर मेडिकल काउंसिल को दे दी, यानी गवर्नमेंट के पास जो पावर थी, वह भी मेडिकल काउंसिल को दे दी। अब हमारे पास कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आती है या सिग्नेचर के लिए भी हमारे पास वह नहीं आती। उसमें हमने सिर्फ एक चीज़ अपने पास रखी, जो पहले नहीं थी और वह है - पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन में भी क्या है? वह पॉलिसी डिसीजन भी हमें लिखित में देने पड़ते हैं। वह पॉलिसी डिसीजन कांग्रेस पार्टी के लिए या यू.पी.ए. के लिए नहीं है। वह पॉलिसी डिसीजन इस देश के ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जो आप तमाम साथी बता रहे थे। आज मैं गौरव से कह सकता हूँ कि उस पॉलिसी डिसीजन से या यह यू.पी.ए. सरकार जब से आई, खास तौर से यू.पी.ए सेकंड, इतनी सीटें एम.बी.बी.एस. की 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में बढ़ी हैं, इतनी एक समय में कभी नहीं बढ़ीं। मैं बताना चाहता हूँ कि इन तीन सालों में एम.बी.बी.एस. की 8,167 सीटें बढ़ी हैं और अभी इस जून में, डेढ़ महीने के बाद का एम.बी.बी.एस. का अभी दिया नहीं है, उसमें और दो-तीन हजार सीटें बढ़ेंगी। इसी तरह से एम.डी. की सीटों की भी बात है। इनमें हमने मिनिस्ट्री के पास पॉलिसी की पावर रखी है, तो उसके अन्दर 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में एम.डी. की 9,151 सीटें बढ़ीं। इस तरह, पूरे 60 साल में 13 हजार एम.डी. इनटेक था, लेकिन सिर्फ इन तीन सालों में 9,151 टेक हुए, which is 72 per cent increase in a small period of time. हमने अपने पास यह पॉलिसी की पावर रखी है।

अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि डॉक्टर्स नहीं हैं या ये नहीं हैं। अस्पताल तो हम रूरल हेल्थ मिशन में बनाते हैं, लेकिन सिर्फ अस्पताल बनाने का क्या फायदा, जब तक उसमें डॉक्टर नहीं हों, specialist नहीं हों? इसलिए, हमने बहुत से कदम उठाए कि किस तरह से ज्यादा-से-ज्यादा मेडिकल कॉलेजेज़ आएँ, उनके लिए कौन-कौन-से रूल्स चेंज करने हैं, किस तरह से लैंड कम करना है, किस तरह से उनकी फैकल्टी बढ़ानी है। मैं उनका उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहता और इसमें हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने कई दफा इसकी चर्चा की है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेज़ से हमेशा मेरी यह शिकायत रहेगी कि गनर्वमेंट कॉलेजेज़ के बारे में कभी इस सदन में या उस सदन में कहा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज़ को मेडिकल काउंसिल के द्वारा जल्दी परमिशन दी जाती है और गनर्वमेंट कॉलेजेज़ को नहीं। लेकिन, मैं इन दोनों सदनों ये कह चुका हूँ कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ एक इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए उतना ही जरूरी फैकल्टी भी है। फैकल्टी की हमारे देश में कमी थी, इसलिए तीन साल पहले, हमने आते ही फैकल्टी की जो उम्र थी, वह 65 साल कर दी। सिर्फ फैकल्टी की, डॉक्टर्स की नहीं, क्योंकि यह Concurrent है। यह हमने सबसे पहले अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में किया, All India Medical Institute और PGI में, ताकि स्टेट्स वाले यह नहीं कहें कि भाई, बाकी डॉक्टर्स शोर मचाएँगे। किसी ने PGI में एक रिप्रिजेंटेशन भी नहीं दी और किसी ने All India Medical Institute में भी एक रिप्रिजेंटेशन नहीं दी कि हमारा क्यों नही हुआ, क्योंकि it was faculty-specific. सारे डॉक्टर्स जानते हैं कि हम डॉक्टर तभी बनेंगे जब तक मेडिकल कॉलेजेज़ में फैकल्टी होंगी। हमने DNB को फैकल्टी बनने की परमिशन दी। इसके बाद लास्ट ईयर हमने यह रियलाइज किया कि 60 साल भी अभी काफी नहीं है, तो हमने फैकल्टी की एज 70 साल कर दी। लेकिन, उसका लाभ सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेज़ उठाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेज़ ने एकदम जो गनर्वमेंट कॉलेजेज़ से रिटायर हो गए, उनको फैकल्टी बनाया। मैंने एक बार नहीं, अनेक बार मुख्य मंत्रियों को भी लिखा, कइयों को

टेलिफोन भी किया और हेल्थ मिनिस्टर्स को भी बताया कि अगर आपके मेडिकल कॉलेजेज़ फैकल्टी के कारण रिजेक्ट होते हैं, तो अब तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, which is a regulatory body, उसने आपको परमिशन दी है, 65 साल और 70 साल की, लेकिन अभी 65 साल करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है।

महोदय, हमारा काम है कि हम स्टेट गनर्वमेंट्स के लिए रास्ता साफ करें, लेकिन अगर कोई उसका फायदा नहीं उठाना चाहे, उसके बाद फिर उसकी request रिजेक्ट हो जाए और उसके लिए अगर वह कभी हेल्थ मिनिस्टर को दोष दे, तो कभी Medical Council को दोष दे, तो मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा। चाहे वह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की हो या लेफ्ट की हो या किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो, सभी राजनीतिक पार्टीज़ और सभी एमपीज़ से मेरी गुजारिश होगी कि अगर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ानी है, तो उसके लिए हमें faculties बढ़ानी होंगी। जब तक हम faculty नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते हैं।

आज के इस वातावरण में जहां सीबीआई हो, जहां सीवीसी हो, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्टस् हों, जहां हाई कोर्टस् हों, जहां सुप्रीम कोर्ट हो, जहां आरटीआई हो, जहां सीएजी हो, जहां इतनी चौकन्नी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जहां आप सब लोग लोकपाल का इंतजार कर रहे हैं, वहां इन 11-12 संस्थानों से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। यदि कोई एक जगह निकलेगा, तो वह दूसरी जगह फंसेगा।

हम सदन के सदस्य, चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, पब्लिक रिप्रजेंटेटिव हैं। जब हम चुनाव में जाते हैं, तो हमको मालूम होता है कि कितने विरोधी हमारे खिलाफ हैं। जो candidate होता है, चाहे वह इधर का हो या उधर का हो, हमारे खिलाफ न जाने कितने आरोप लगाता है, उन आरोपों में कितने सत्य होते हैं और कितने असत्य होते हैं। जब हम पब्लिक में रहते हैं और यह जानते हैं कि हमारे समाज में सभी जगह vested interest है। उसी हाउस में मैं दो चीजें देख रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हमारे माननीय सदस्यगण नाम पढ़ते हैं कि इस-इस कॉलेज को परमिशन दी गई है, जब कि किसी के पास कम infrastructure था, किसी के पास कम faculties थीं, लेकिन फिर भी उनको परमिशन दी गई, इसलिए Medical Council of India may be held responsible. इसी सदन में दूसरे माननीय सदस्य हैं, वे कहते हैं कि हमको परमिशन क्यों नहीं दी जाती है? अब Medical Council of India वाले परमिशन दें, तो मुसीबत और अगर कहीं concession दे दें, तो उनके पीछे सीबीआई लग जाती है। हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाइए। हम ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएंगे और अगर उसमें एक कमरा भी कम हुआ, एक डॉक्टर भी कम हुआ, तो हम उसके पीछे सीबीआई लगा देंगे। इन हालात में कोई भी Medical Council, कोई भी respected person, जो भी Medical Council के मेम्बर हैं, उसे डिसमिस करना या किसी के बारे में यह स्टेटमेंट देना कि वह भी भ्रष्ट है, यह भी भ्रष्ट है, यह बड़ा आसान है। हम जिस फोरम में हैं, उसमें 35 साल हो गए, तीन साल असेम्बली में थे और बाकी 32 साल इसी पार्लियामेंट में हैं, मेरे ख्याल से सब बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आज मैंने जिन संस्थानों का नाम लिया, उन्होंने वैसे ही सब राजनीतिक पार्टीज का ऐसा हुलिया बना दिया है और अगर कुछ हुलिया बचा है, तो उसको हम खुद पूरा कर देते हैं। जहां भ्रष्ट नहीं भी होता है, हम बताते हैं कि सब भ्रष्ट हैं।

मेरी आप सभी, यानी इस तरफ के और उस तरफ के माननीय सदस्यों से यह गुजारिश होगी कि जब भी किसी के खिलाफ कुछ आरोप हो, तो पहले उसकी जानकारी कराएं। उनका भी एक career रहा है, कोई पीजीआई का डायरेक्टर रहा है, कोई किसी दूसरे Institute का डायरेक्टर रहा है। मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं हो, तब तक किसी के खिलाफ आरोप न लगाएं। अगर सबूत हो, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैंने 10-12 एजेंसियों का नाम लिया है, अगर गुलाम नबी आज़ाद भी पैसा लेता है, तो आप इन एजेंसियों को बताएं, लेकिन हम हाउस में खाली नहीं बताएं कि यह भी चोर है, वह भी

[श्री गुलाम नबी आज़ाद]

चोर है। एक इंसान को समाज में अपना मान-सम्मान बनाने में पूरी उम्र लग जाती है और हम एक शब्द में उसको ऐसा बता देते हैं और हमारे जो मित्र हैं मीडिया के, उनको तो material मिल जाता है और उनको और मजा आता है। मेरी सबसे request है कि even हम एक-दूसरी पार्टी के खिलाफ भी इस तरह के आरोप न लगाएं, जब तक उसमें कोई तथ्य न हो, तब तक आरोप न लगाएं। उस तरह का आरोप तो इस सदन में नहीं लगा, जिस तरह का आरोप दूसरे सदन में लगा।

वहाँ तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ अपने साथियों से, एक मिनिस्टर के नाते नहीं, बल्कि एक साथी के नाते, एक एमपी के नाते और एक कुलीग के नाते यह गुजारिश करूँगा कि आइंदा हमें यह देखना होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं निवेदन करूँगा कि यह बड़ा लिमिटेड विषय है, इसको दो साल की बजाय तीन साल करना है, इसी के लिए मैं इस सदन के पास आया हूँ और मैं इस सदन के लेफ्ट, राइट और सेंटर के जितने लीडर्स हैं, उन सभी से गुजारिश करूँगा कि वे इन सबको इकट्ठे पास कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu) : Sir, my Chief Minister has opposed the National Commission for Human Resources for Health Bill. She has written to the hon. Prime Minister on 12th April. Some other Chief Ministers have also written. In fact, the Chief Minister of Gujarat has written a letter to the Prime Minister on 5th May. We have not received any response so far. What is your stand on that? If that Bill does not carry the light of the day, then what is your stand on this Bill?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal) : Sir, the hon. Minister has assured that as soon as the Standing Committee sends the recommendations on the National Commission for Human Resources for Health Bill, it shall be placed before the House. I would like to seek one clarification. Before placing the proposed Bill in the House, will the hon. Minister try to arrive at a broad consensus among the parties?

SHRl PRAKASH JAVADEKAR (Maharashtra) : Sir, the only point is that it is not only your Ministry but also other Ministries which are superseding statutory institutes. My question is: When will the election to the IMC be held and will you commit yourself to the amendment that nobody shall hold the office for more than two terms? Can you give guarantee of doing this?

SHRI P. RAJEEVE : Sir, as per the Statement of Objects and Reasons, the new Bill is not mentioned as a subject. From the beginning, all the three Amendment Bills were related to corruption. MCI is an independent autonomous body. There should be democratic election and the Government should come up with appropriate amendment.

श्रीमती माया सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, उन्होंने जिस कारण से, मतलब भ्रष्टाचार या करप्शन के आरोप में एमसीआई को भंग किया, उससे ज्यादा आरोप इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेम्बर्स के ऊपर लग रहे हैं। एमसीआई, जो कि एक autonomous body है, मेरी पार्टी इस संस्था की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की हिमायती है और मैं समझती हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह ठीक भी है, क्योंकि इस संस्था ने हमारे देश के इतने लम्बे काल में देश में उम्दा डॉक्टर्स दिए हैं, जिन्होंने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : प्रश्न पूछिए।

श्रीमती माया सिंह : उन्होंने न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी हमारा नाम रौशन किया है। एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगे हैं और उस आरोप के कारण आपने पूरी संस्था को भंग किया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि यूपीए सरकार के ऊपर भी करप्शन के इतने सारे आरोप लग रहे हैं, तो क्या आप यूपीए सरकार को भी भंग कर देंगे? **...(व्यवधान)... ...(समय की घंटी)...**

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : ओके प्लीज़। माया जी, अब आप बैठिए। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती माया सिंह : जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते हैं, उस पर कार्रवाई कीजिए। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Let the hon. Minister reply. ...(*Interruptions*)...

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माननीय सदस्या, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, ने जो कहा, उसे सुनकर ऐसा लगा, जैसे पूरी रात रामायण की कहानी सुन कर सुबह कोई यह पूछे कि राम सीता के क्या लगते थे। मैं यही कहा रहा था कि जब तक जिसका तथ्य न हो, तब तक हमें ख्वाहमख्वाह आरोप नहीं लगाने चाहिएं। बहरहाल, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल) : सर, राम और सीता का जब नाम आया है, तो सीताराम को तो बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...** हमारा निवेदन एक ही है। सवाल यह है कि भ्रष्टाचार को वहां से हटाना है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन इसको रि-आर्गनाइज करके दोबारा चुनाव करके इलेक्शन करवाएंगे, यह बात आपने दो साल पहले कही थी। एक साल के लिए यह विधेयक हुआ था, उसके बाद फिर एक साल के लिए और एक्सटेंड हुआ। पिछली बार हमारी एक अमेंडमेंट थी कि इसमें आप स्टेट के रिप्रजेंटेटिव को जोड़ेंगे। आपने इसी हाउस में आश्वासन दिया था कि छ: महीने के अंदर इसमें स्टेट के रिप्रजेंटेटिव को जोड़ेंगे। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Just put the question; don't repeat.

SHRI SITARAM YECHURY : Sir, I have only one point. Can he give an assurance that he will have these democratic elections and democratically-elected body will be put in place within next six months?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : He has already said it.

SHRI GHULAM NABI AZAD : I would not like to discuss it here. At this juncture, I am not going to discuss the Bill which is still pending.

श्रीमती माया सिंह : सर, मैं यह जानना चाहती हूं कि आप इसको तीसरी बार बढ़ा रहे हैं, **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Mayaji, he is not yielding. हो गया। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती माया सिंह : अब क्या यह आखिरी बार है? **...(व्यवधान)...**

श्री गुलाम नबी आज़ाद : माया जी, मैंने उसका उत्तर दे दिया है। इसमें दो चीजें हैं। एक तो overarching body जो स्टेंडिंग कमेटी के पास है, NCHRH, वह जिस वक्त भी आए उसके तुरन्त बाद हमारी मिनिस्ट्री में एकाध महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा और केबिनेट से एप्रूवल होने के बाद जो भी सेशन होगा, चाहे वह मानसून सेशन हो या विन्टर सेशन हो, लेकिन आज मैं डेट इसलिए नहीं बतला रहा हूं कि फिर आप कहेंगे कि मानसून के लिए आपने कहा था, तो जो भी इमीडिएट सेशन होगा, उसमें हम लाएंगे। **...(व्यवधान)...** Listen to me.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Let' him complete. ...(*Interruptions*)...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : Sir, the issue is whether it is the last extension that he is asking.

SHRI GHULAM NABI AZAD : I have not completed. Number two, वह overarching body का बिल लाने से पहले, I will take all the political parties into confidence and try to arrive at a consensus. But, at the same time, while not discussing the overarching body, I would like to make one point clear. I think, some people, in the corridor of Parliament, were thinking that we are going to bring people like lawyers, or, people from outside. The overarching body will consist of representatives of the elected President of the Medical Council of India, the elected President of the Dental Council of India, the elected President of the Nursing Council of India, and the elected President of the Pharmacy Council of India. They are all going to be the part of this overarching body. Of course, in addition to these four elected Presidents, there are going to be other experts also from medical fraternity. So, it is not that somebody from outside is going to come. They are going to be the part and parcel of this overarching body. Yet, I have said that before we come to this House for discussion on the overarching body, we will have a threadbare discussion with all political parties and will try to reach at a consensus.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, the question is:

That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.
Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI GHULAM NABI AZAD : Sir, I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Now, let us take up The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2012. ...(*Interruptions*)... Shri Mukul Roy to move the motion. ...(*Interruptions*)...

The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 2012

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI MUKUL ROY) : Sir, I move:

"That the Bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2012-13 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Shri Raghunandan Sharma. ...(*Interruptions*)... Mr. Raghunandan Sharma, would you like to speak? Order please. Don't stand like that. ...(*Interruptions*)... hon. Members, please take your seats. ...(*Interruptions*)... Hon. Members, please take your seats. ...(*Interruptions*)... Please. All of you take your seats. ...(*Interruptions*)... Please ensure order in the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI K. N. BALAGOPAL (Kerala) : Sir, tomorrow ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Shri Raghunandan Sharma, are you speaking ? ...(*Interruptions*)... मंत्री जी ने मूव कर दिया है, आप बोलिए **...(व्यवधान)...** The Minister has moved the Motion. ...(*Interruptions*)... I am telling you. ...(*Interruptions*)... All others may please take your seats. ...(*Interruptions*)... Please have order in the House. ...(*Interruptions*)...

SHRI PARSHOTTAM KHODABHAI RUPALA (Gujarat) : Sir, tomorrow ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) : Hon. Members, the Appropriation (Railways) No. 3 Bill has been moved, and, now, the discussion starts. ...(*Interruptions*)... Mr. Raghunandan Sharma will start the discussion. ...(*Interruptions*)... Please take your seats. What is this? There is no order in the House. ...(*Interruptions*)... रघुनन्दन शर्मा जी, आप बोलिए **...(व्यवधान)...** आप लोग बैठ जाइए **...(व्यवधान)...** रघुनन्दन शर्मा जी, आप बोलिए।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TARIQ ANWAR) in the Chair]

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं रेल विभाग द्वारा भारत के संचित कोष से कुछ राशियां संदाय करने के लिए प्रस्तुत विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।